वार्षिक रिपोर्ट

2003-2004

सत्यमेव जयते

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली

विषय–सूची

I. प्रस्तावना *1*

II. उद्योगों का कार्य–निष्पादन *2*

क. औषध और भेषज उद्योग *2*

ख. रसायन, पेस्टिसाइड्स एवं संबद्ध उद्योग *6*

ग. पेट्रोरसायन उद्योग *9*

घ. रसायन उद्योग – विकास रणनीति *12*

III. भोपाल गैस रिसाव त्रासदी *13*

IV. सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य–निष्पादन *16*

क. औषध और भेषज उपक्रम *16*

ख. रसायन, पेस्टिसाइड्स उपक्रम *24*

ग. पेट्रोरसायन उपक्रम *28*

V. संस्थान *29*

क. इंस्टीच्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मुलेशन टेक्नोलॉजी *29*

ख. सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी *30*

ग. नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च *32*

VI. सामान्य *34*

अनुबंध *44*

I. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को आबंटित विषयों की सूची *44*

II. औषध और भेषज उत्पादन *45*

III. प्रमुख रसायन (क्षमता और उत्पादन) *51*

IV. प्रमुख पेट्रोरसायन (वास्तविक, अनुमानित और प्रत्याशित) *55*

V. रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों और अन्य संगठनों की सूची *57*

VI. नियंत्रक और महा–लेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी का सारांश *58*

I: प्रस्तावना

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग 5-7-1991 से रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अंग रहा है। इस विभाग को रसायन, पेट्रोरसायन और भेषज उद्योगों की नीति, आयोजना, विकास और विनियमन का दायित्व सौंपा गया है। इस विभाग को आबंटित कार्यों की सूची अनुबंध-I पर दी गयी है।

श्री सुखदेव सिंह ढींढसा 7.11.2000 से रसायन और उर्वरक मंत्री का कार्यभार संभाले हुए हैं।

श्री छत्रपाल सिंह ने 29-1-2003 को श्री तपन सिकदर के स्थान पर रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला।

श्री प्रत्युष सिन्हा ने 3.2.2004 को विभाग में सचिव का कार्यभार संभाला।

II: उद्योगों का कार्य-निष्पादन

क. भेषज उद्योग

भारतीय भेषज उद्योग, जो अब 4 बिलियन अमरीकी डालर का उद्योग है, ने आधरभूत संरचना के विकास, तकनीकी आधार तथा उत्पादों के व्यापक प्रसार में जबर्दस्त प्रगति दिखाई है। उद्योग सभी बड़े चिकित्सीय समूहों से संबंधित जटिल विनिर्माण प्रक्रिया वाले प्रपुंज औषधों का उत्पादन करता है तथा भिन्न-भिन्न खुराक रूपों के उत्पादन के लिए इसने शानदार जी एम पी परामर्शदात्र ी सुविधाएं भी विकसित कर ली हैं। अल्पतम सम्भव समय के भीतर ड्रग इंटरमीडियेट्स और बल्क एक्टिव्स के लिए, गुणवत्ता से समझौता किए बगैर, लागत प्रभावी तकनीकों का विकास, उद्योग की ताकत है। यह राष्ट्र की ओरगेनिक सिंथेसिस और प्रोसेस इंजीनियरिंग की शक्ति के जरिए हो पाया। कम लागत पर एंटीरिट्रोवायरल्स के उत्पादक तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और खासकर जरूरतमंद अफ्रीकी बाजारों के आपूर्तिकर्ता के रूप में देश की ख्याति अब इतिहास का हिस्सा है।

2. कई भारतीय कंपनियां शुद्धता, स्थिरता और अन्तर्राष्ट्रीय एस एच इ आवश्यकताओं यथा सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा उत्पादन में पर्यावरण सुरक्षा में उच्चतम मानकों का पालन करती हैं। इससे बड़ी संख्या में भारतीय कंपनियों द्वारा उच्चतम गुणवत्ता का अनुपालन करने की बात पता चलती है क्योंकि इन बल्क एक्टिव्स की खरीदार कंपनियों द्वारा खुराक रूपों में प्रयोग होता है जो कि पुन: आयातकर्ता देशों में नियामक प्राधिकारों के कड़े मूल्यांकन से गुजरता है। बहुत सी भारतीय कंपनियां अब अमेरिका में विशिष्टीकृत क्षेत्र ों यथा एंटीइनफेक्टिव्स, कार्डियोवैस्कुलर्स, सी एन एस समूह में नियामक स्वीकृतियां चाह रही हैं। ब्राजील और जनवादी गणतंत्र चीन के साथ भारत ने उत्कृष्ट जेनेरिक फार्मा प्लेयर के रूप में अपना खास मुकाम बना लिया है।

3. भेषज उद्योग में परिष्कृत तकनीकी तथा कड़े जी एम पी मानकों के होने तथा भारतीय भेषज निर्यात का बड़ा भाग अति विकसित पश्चिमी राष्ट्रों को जाने से भारतीय भेषजों की शानदार गुणवत्ता तथा मूल्यों की तर्कसंगतता का पता चलता है। अधिकतर भारतीय कंपनियां डब्ल्यू एच ओ जी एम पी हासिल करने के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय नियामक एजेंसियों यथा यू एस एफ डी ए, एम सी ए यू के, टी जी ए आस्ट्रेलिया एम सी सी दक्षिण अफ्रीका से प्लांट स्वीकृतियां भी प्राप्त कर रही हैं।

1.0 उत्पादन

1.1 2002-03 के दौरान संयुक्त उद्यम सहित, प्राद्योगिकी अंतरण, विदेशी निवेश, नए उपक्रमों की स्थापना / विद्यमान इकाइयों के विस्तार (विद्यमान इकाइयों में नई वस्तुओं के निर्माण) आदि के प्रस्ताव प्राप्त होते रहे और उन पर कार्रवाई की जाती रही। भेषज उद्योग के लाइसेंस मुक्त होने के पश्चात विभिन्न प्रपुंज औषधों/औषध मध्यवर्तियों/सूत्रायोगों के विनिर्माण के लिए अनेक आई ई एम प्राप्त हुए। आई ई एम में सम्मिलित प्रमुख मदों में विभिन्न प्रपुंज औषध, रक्त वाहिनी शिराओं के लिए तरल (इन्ट्रावेनस फ्ल्यूड्स) सूत्र योग आदि शामिल हैं।

2.0 निर्यात

2.1 पिछले चार वर्षों के दौरान औषधों, भेषजों और फाइन रसायनों के निर्यात के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रूपए में)

1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनंतिम)
7230.16	8757.47	9834.7	11925.4

निर्यात से उत्पादन दर 1999-2000 में 15.57% और 2000-2001 में 20.73% और 2001-2002 में 11.13% और 2002-2003 में 21.2% (अनंतिम) हो गई।

स्रोत: डायरेक्ट्रेट जनरल, कामर्शियल इंटेलिजेन्स एवं स्टैटेटिक्स (डीजीसीआईएस)

3.0 निर्यात संवर्द्धन सैल :

3.1 भेषज निर्यात को बढ़ाने और निर्यात से संबंधित प्रश्नों/मामलों के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करने के लिए भेषज प्रभाग में एक निर्यात संवर्द्धन सैल कार्यरत है। सैल, प्रोत्साहन संबंधी कार्य भी करता है और उद्योग से आयात-निर्यात नीति में संशोधन के सुझावों पर विचार करता है। इस सैल को प्रमुख देशों के साथ मानकों और गुणवत्ता नियंत्राण पर कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करने का कार्य भी सौंपा गया है जिससे कि स्वदेशी कम्पनियां अपने उत्पाद का निर्यात करने के लिए तैयार हो सकें। वर्ष के दौरान दक्षिण अफ्रीका, इन्डोनेशिया और बेलारूस के दौरे किए गए तथा फार्मा उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई थी और इन देशों को निर्यात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। सेल में भारतीय निर्यातकों के लाभ के लिए कई देशों में भेषज उद्योग की स्थिति पर एक डाटाबेस उपलब्ध है।

4.0 आयात

4.1 डी जी सी आई एस से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गत तीन वर्षों में औषधों और भेषजों के आयात निम्नानुसार रहे हैं :-

वर्ष	**औषधों और भेषज उत्पादों का आयात (करोड़ रूपए में)**
2000-2001	1701.46
2001-2002	2026.58
2002-2003	2717.82 (अनंतिम)

स्रोत: डीजीसीआईएस

4.2 हाल के वर्षों में कमी की कोई सूचना नहीं है। जैसा कि बताया जा चुका है, अपने उपभोक्ताओं के लिए सूत्रायोग की आवश्यकता के मामले में देश लगभग आत्मनिर्भर है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश औषध और भेषज उत्पादों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। विनिर्माता, औषध नियंत्र ण प्राधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित किसी भी औषध का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है।

4.3 औषधों और भेषजों के आयात के लिए वर्तमान एक्जिम नीति के अन्तर्गत प्रतिबंधित आयात सूची में शामिल कुछ को छोड़कर, जिसका आयात लाइसेंस के अन्तर्गत किया जाता है, शेष स्वतंत्र है। इन कदमों के मद्देनजर दवाइयों की कमी होने की संभावना नहीं है। आम प्रतिबंध नहीं होने के कारण विश्व के किसी भी भाग से आयात किया जा सकता है।

5.0 अनुसंधान और विकास

5.1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने औषध व भेषज सेक्टर में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए एक द्विस्तरीय ढांचा यथा सचिव स्तर पर सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च कार्यपालक समिति तथा प्रचालनात्मक स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति मौजूद है।

5.2 अनुसंधान एवं विकास में विश्वव्यापी व्यवहार्यता लाने के लिए औषधियों के विकास के विशिष्ट क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और पर्याप्त मानव संसाधन अपेक्षित हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि डी एस टी कार्यक्रम में, नई औषधि विकास परियोजनाओं के अतिरिक्त, नई औषधि के विकास के लिए आवश्यक सुविधाओं के सृजन को समर्थन दिया जाना चाहिए।

5.3 तद्नुसार तत्काल आवश्यक एवं सृजित की जाने वाली आवश्यक सुविधाओं अर्थात् (क) डी एच गायरेज स्क्रीनिंग सुविधा (ख) गुणवत्ता ढांचा गतिविधि संबंध (क्यू एस ए आर) सुविधा (ग) इम्युनोमॉडुलेटर्स मॉडलिंग और स्क्रीनिंग तथा (घ) फार्माकोलॉजिकल परीक्षण की पहचान की गई। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में भेषज क्षेत्रा में आर एण्ड डी परियोजना और संबंधित अध्ययन के वित्त पोषण के लिए 2003-2004 में 25 लाख रूपए का बजट प्रावधान है।

5.4 विकास और अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने कई नीतिगत पहल की हैं। भेषज सेक्टर में अनुसंधान व विकास इकाइयों को आर्थिक प्रोत्साहन तथा नये औषध मालिक्यूल्स, क्लिनिकल रिसर्च नये औषध डिलीवर सिस्टम से संबंधित कार्यप्रणाली को सरल बनाने जैसे उपायों से इस प्रक्रिया में प्रगति हो रही है और मूल औषध आविष्कार के क्षेत्र में शानदार मूलभूत ढांचे के साथ नई अनुसंधान व विकास स्थापनाएं आ रही हैं तथा प्रमुख औषध कंपनियों ने अपने एन सी इज को एम एन सीज का लाइसेंस दिया है। यह ज्ञात हुआ है कि एंटीइनफेक्टिव, एंटी कैंसर तथा जीवनशैली क्षेत्र में कुछ उत्पादों का अगले कुछ वर्षो में प्रयोगशाला परीक्षण किए जाने का अनुमान है। कुछ प्रमुख भारतीय औषध कंपनियों ने रिपोर्ट किए गए टर्नओवर के कुल 2% औसत अनुसंधान व विकास व्यय की तुलना में अपने व्यय को अनुसंधान व विकास में अपने टर्नओवर के 5% तक बढ़ा दिया है।

6.0 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए)

6.1 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए), विशेषज्ञों के एक स्वतंत्रा निकाय की स्थापना रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के अधीन 29.8.1997 को की गई थी। इस प्राधिकारण को मूल्य निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामले जैसे मूल्य नियंत्रित और नियंत्राण मुक्त औषधों और सूत्रायोगों की कीमतों को मानीटर करने तथा औषध (मूल्य नियंत्राण) आदेश (डीपीसीओ), 1995 को लागू करने का कार्य सौंपा गया है।

6.2 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य हैं :-

- इसको प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्राण) आदेश, 1995 के उपबंधों को लागू करना और कार्यान्वित करना।
- औषधों और सूत्रायोगों के मूल्य निर्धारण के संबंध में संगत अध्ययन करना/अथवा प्रायोजित करना।
- औषधों की उपलब्धता को मानीटर करना, कमी का पता लगाना, यदि कोई हो, और सुधारात्मक उपाय करना।
- प्रपुंज औषधों और सूत्रायोगों के लिए उत्पादन, निर्यात और आयात, अलग-अलग कंपनियों के मार्किट शेयर, लाभ देयता के आंकड़े एकत्रा करना और उनका रखरखाव।
- प्राधिकरण के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी कानूनी मामलों पर कार्रवाई करना।
- औषध नीति में परिवर्तन/संशोधन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को परामर्श देना।
- औषध मूल्य निर्धारण से संबंधित संसदीय मामलों में केन्द्रीय सरकार को सहायता देना।

आरंभ से 31 अक्तूबर, 2003 तक कार्यनिष्पादन

6.3 राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने आरंभ से 135 मामलों में अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों जिसमें 48 व्युत्पाद और 2381 सूत्रायोग शामिल हैं, की कीमतों में संशोधन किया है। इनमें से 37 अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों तथा 15 व्यत्पादों और 330 सूत्र योगों के मूल्य 1 अप्रैल, 2003 से 31 अक्तूबर 2003 के बीच निर्धारित/संशोधित किए गए थे।

6.4 एन पी पी ए द्वारा चुनिंदा मानीटर्ड प्रपुंज औषधों के उत्पादन एवं आयात के संबंध में वार्षिक आंकड़ों का संकलन किया जाता है। वर्ष 2000-2001, 2001-2002 तथा 2002-2003 के संबंध में विवरण संकलित किया गया है (अनुबंध-II)

7.0 औषध मूल्य समकरण खाता

7.1 औषध (मूल्य नियंत्राण) आदेश, 1979 के प्रावधानों को लागू करने से उत्पन्न प्रत्येक औषध कंपनियों की देयता से संबंधित संपूर्ण मामलों की समीक्षा करने के लिए दो सदस्यों सहित दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक औषध मूल्य देयताएं समीक्षा समिति गठित की गई है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने 72 महत्वपूर्ण मूल्यांकन मामलों को औषध मूल्य निर्धारण देयता समीक्षा समिति को प्रस्तुत किया है। समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को बकाया राशि वसूल करने के लिए आगे कार्रवाई करने हेतु 50 मामलों पर अपनी सिफारिशें भेज दी हैं। शेष सभी मामलों में संबंधित कंपनियों ने या तो उच्च न्यायालयों से अलग-अलग अन्तरिम स्थगन ले लिया है या दावा किया है कि भारतीय भेषज उत्पादक संगठन (ओ पी पी आई) और औषध उत्पादक संघ द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय से प्राप्त अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.6.1997 में उनके मामले शामिल हैं जिसमें रसायन और पेट्रोरसायन विभाग और डीपीएलआरसी को औषध (मूल्य नियंत्राण) आदेश, 1979 के तहत डीपीईए देयताओं के संबंध में नया नोटिस जारी करने से मना किया गया है। 50 मामलों में से 18 मामलों में कुछ कंपनियां विभिन्न उच्च न्यायालयों में चली गईं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए।

7.2 औषध मूल्य देयता समीक्षा समिति के संशोधित विचारार्थ विषय संकल्प सं० 12(2)/99-डीपीईए दिनांक 10.10.2002 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। अब समिति इस संबंध में विभिन्न अदालती आदेशों और तदन्तर औषध(मूल्य नियंत्र ण) आदेश, 1979 के प्रावधानों को लागू करने से उत्पन्न प्रत्येक औषध कंपनियों की देयता की गणना करेगी। कंपनी ने देयता की राशि की गणना करने के लिए 11.10.2002 को 31 मामले समिति को भेजे हैं। ये मामले हैं जिसमें समिति पहले विभाग को अपनी सिफारिशों के आधार पर उसमें निहित सिफारिशों पर देयताओं के निर्धारण के लिए अपनी रिपोर्ट भेजी थी।

ख. रसायन, पेस्टिसाइड और सम्बद्ध उद्योग

रसायन उद्योग भारत में सबसे पुराने उद्योगों में एक है। यह न सिर्फ आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि राष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। पेट्रोरसायन और अल्कोहल पर आधारित रसायनों सहित इस उद्योग का विकास संपूर्ण उद्योग के सकल विकास से कहीं अधिक हुआ है।

2. वैश्विक रसायन बाजार वर्ष 2002 में लगभग 1.5 ट्रिलियन यू०एस०डी० अनुमानित है, पश्चिमी-यूरोप सबसे बड़ा रसायन उत्पादक क्षेत्र है उसके बाद उत्तरी अमरीका तथा एशिया हैं।

3. भारतीय रसायन उद्योग का रसायनों के विश्व उत्पादन में मात्र ा के आधार पर 12 वाँ स्थान है। उद्योग का वर्तमान टर्नओवर लगभग 30 बिलियन अमरीकी डालर है जोकि देश के कुल निर्माण उत्पादन का 14% है यू०एस०डी० वर्ष 2000 में रसायनों का निर्यात 4.5 बिलियन यू.एस.डी. था जो कि निर्माण सेक्टर के निर्यात का 14% तथा देश के कुल निर्यात का 11.15% है। इस निर्यात का एक बड़ा भाग अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों को जाता है जो कि इस बात का सूचक है कि उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय उत्पाद विश्व के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के रूप में राष्ट्रीय राजस्व में इसका योगदान लगभग 20% है। आधारभूत रसायनों के मामले में भारत की स्थिति काफी सुदृढ़ है जिनसे उपभोक्ता मदों यथा रंगों, रंजकों, साबुन, दवाओं, सौंदर्य और शृंगार प्रसाधनों का उत्पादन होता है।

4. भारतीय रसायन उद्योग में लघु और वृहत दोनों इकाइयां शामिल हैं। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में लघु उद्योगों को दी गई राजकोषीय रियायतों के फलस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्रा में बहुत सी इकाइयां स्थापित हो गई। वर्तमान समय में रसायन उद्योग बहुत बड़े पुनर्गठन और एकीकरण के दौर में है। उत्पादन संरचना, ब्रैंड बिल्डिंग और इस उद्योग की पर्यावरण अनुकूलता से यह ग्राहकोन्मुखी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि भारत में मूल कच्चे माल की प्रचुर सप्लाई है, इसे तकनीकी सेवाओं का निर्माण और विपणन क्षमता को बढ़ाना है ताकि वैश्विक प्रतियोगिता का सामना कर सके और अपने निर्यात के शेयर मे बढ़ोतरी कर सके।

5. खपत के मामले में रसान उद्योग स्वयं अपना सबसे बड़ा खरीदार है और कुल खपत में इसका हिस्सा लगभग 33% है अधिकतर मामलों में आधारभूत रसायन डाउनस्ट्रीम रसायन में परिवर्तित होने के लिए कई प्रसंस्करण चरणों से गुजरते हैं। तदुपरांत इनका उपयोग औद्योगिक कार्यो कृषि और प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता बाजार के लिए होता है। रसायनों के औद्योगिक और कृषि उपयोग में आसंजक, अप्रसंस्कृत प्लास्टिक, रंजक एवं उर्वरक जैसे सहायक पदार्थ शामिल हैं जबकि उपभोक्ता सेक्टर के भीतर उपयोगों में भेषज, शृंगार प्रसाधन, घरेलू उपयोग की वस्तुएं पेंट इत्यादि शामिल हैं।

6. भारत भारी मात्राा में फाइन और विशिष्ट रसायनों का उत्पादन करता है जो औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं इनका प्रयोग खाद्य संयोजी, पिगमेंट्स, पालीमर संयोजी और रबड़ उद्योग में ऑक्सीडेंट्स रोधी के रूप में होता है। एन ओ सी आई एल, बॉयर (इंडिया), आई सी आई (इंडिया), हाइको प्रोडक्टस, रंगीन रसायन और विशिष्ट रसायनों के प्रमुख निर्माता हैं।

7. भारत में रंजक सेक्टर रसायन उद्योग का एक प्रमुख भाग है जिसमें अनेक सेक्टरों जैसे कपड़ा, चर्म, कागज, प्लास्टिक, मुद्रण की स्याही और खाद्य पदार्थ शामिल हैं। कपड़ा उद्योग रंजक पदार्थो का सबसे बड़ा लगभग 70% भाग का उपभोक्ता है। 1950 के दशक में आयातकर्ता और वितरक होने के साथ ही यह बहुत सबल उद्योग और प्रमुख विदेशी मुद्रा कमाने वाला बन गया है। भारत रंजक और रंजक पदार्थो का वैश्विक सप्लायर बन गया है विशेषकर रिएक्टिव, एसिड, वैट और डायरेक्ट डाईज के मामले में अग्रणी है। जहां तक रंजकों के वैश्विक उत्पादन का संबंध है, भारत का विश्व उत्पादन में 6% भाग बनता है।

8. रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड ने 1960 और 1970 के दशक में भारत की "हरित क्रान्ति" में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में पेस्टिसाइड की खपत अन्य देशों की तुलना में कम है। गत पाँच वर्षो में

भारतीय कृषि रसायनों ने निर्यात में खासी वृद्धि दिखाई है। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, बंगला देश, मलेशिया और सिंगापुर प्रमुख निर्यात गंतव्य बाजार हैं।

9. सरकार नीम बीजों के प्रयोग से वैकल्पिक और गैरनुकसानदेह पेस्टीसाइड्स के प्रयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी)/संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यू एन आई डी ओ) की वित्तीय सहायता से "पर्यावरण अनुकूल पेस्टीसाइड्स के रूप में नीम उत्पादों का विकास और उत्पादन" शीर्षक से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला रहा है। नीम आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण और उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उसके द्वारा अनुर्वर भूमि विकास को सहायता देने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने, किसानों को पर्यावण अनुकूल/ बायो डिग्रेडबल पेस्टीसाइड्स प्रदान करने के लिए दो स्थानों यथा निम्पिथ, पश्चिम बंगाल और नागपुर, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है।

10. पेस्टिसाइड और रंजक पदार्थों सहित कुछ प्रमुख रसायनों के कार्यनिष्पादन नीचे दिए गए हैं :-

(000 टनों में)

मद	स्थापित क्षमता 31.3.2003	उत्पादन 2002-03	2003-04 (अनुमानित)	2004-05 (प्रत्याशित)
सोडा एश	2042	1632	1673	1840
कास्टिक सोडा	1953	1520	1552	1707
तरल क्लोरीन	1448	970	1012	1113
केल्सियम कारबाइड	86.50	49.00	45	50
फिनोल	66.5	76.20	72	79
मेथनॉल	385.00	362.10	366	403
तक. पेस्टिसाइड	144.95	68.17	68	75
रंजक पदार्थ	52.70	25.90	27	29

वर्ष 2002-03, 2003-04 (अनुमानित) और 2004-05 (प्रत्याशित) में रसायनों की क्षमता और उत्पादन के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

2.0 रासायनिक हथियार समझौता

2.1 रासायनिक हथियार समझौता एक सार्वभौमिक भेदभाव रहित, बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि है जो रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, प्रतिधारण, हस्तांतरण, प्रयोग तथा भंडारण को प्रतिबंधित करता है। यह संधि सभी सदस्य राष्ट्रों के बीच भेदभाव न करते हुए उन्हें समान दृष्टि से देखती है। जो देश ऐसे रायायनिक हथियारों का निर्माण और प्रयोग करते हैं, जिन्हें परम्परागत तौर पर रासायनिक हथियारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें इन हथियारों के प्रयोग के उद्देश्य प्रकट एवं पारदर्शी रखने होंगे। यह

समझौता पेरिस में 13 जनवरी, 1993 को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया था। भारत ने 14 जनवरी, 1993 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

2.2 उक्त समझौता 29 अप्रैल, 1997 को लागू हुआ। अब तक 147 देशों ने इस समझौते का अनुसमर्थन किया है। कुछ प्रमुख देश जिन्होंने इस समझौते का अनुसमर्थन किया है, में यू एस ए, चीन, जापान, यू के, फ्रांस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, पाकिस्तान और नीदरलैंड शामिल हैं। हेग में स्थापित रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओ पी सी डब्ल्यू) द्वारा इस समझौते को कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.3 राष्ट्रीय कार्यान्वयन उपायों के रूप में और समझौते के अन्तर्गत इनके दायित्वों को लागू करने के उद्देश्य से प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को संगठन और अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने के लिए एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण नामित/स्थापित करना होगा। भारत में राष्ट्रीय प्राधिकरण पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

2.4 समझौते में विषैले रसायनों को तीन अनुसूचियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुसूची-1 में वे रसायन सूचीबद्ध हैं जिन्हें रासायनिक हथियारों के रूप में निर्मित और संचित किया जाता है। अनुसूची-2 में ऐसे प्रिकर्सर हैं जिनसे सीडब्ल्यूसी के उद्देश्य और प्रयोजन में काफी जोखिम होता है क्योंकि ये रसायन अनुसूची-1 के रसायन निर्मित करने में सक्षम हैं। अनुसूची-3 में दोहरे उद्देश्य वाले रसायनों को सूचीबद्ध किया गया है जिसमें बड़ी संख्या में वैध सिविलियन वाणिज्यिक अनुप्रयोग हैं और जिन्हें रासायनिक हथियार को विकसित करने के उद्देश्य से भी प्रयोग किया जा सकता है।

2.5 समझौते को लागू करने के दो प्रमुख पहलू हैं- घोषणाएं और जांच। प्रत्येक पक्षकार राष्ट्र को अनुसूचीबद्ध रसायनों के उत्पादन, आयात और निर्यात तथा उनकी उत्पादन सुविधाओं की वार्षिक घोषणा करनी पड़ती है। भारत निर्धारित समय-सीमा में घोषणा करता रहा है। जांच प्रक्रिया के अंतर्गत हेग, नीदरलैंड स्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यकलाप रासायनिक हथियार समझौते के अनुरूप किए जा रहे हैं, सदस्य राष्ट्रों की घोषित रासायनिक सुविधाओं का निरीक्षण करता है। अब तक भारत में ऐसे 14 निरीक्षण हो चुके हैं।

2.6 रासायनिक हथियार समझौते का प्रथम समीक्षा सम्मेलन हेग, नीदरलैंड्स में अप्रैल-मई, 2003 में हुआ। सम्मेलन में गत 6 वर्षों में समझौते के संचालन की समीक्षा की गई। इसमें घोषित आयुधशालाओं को नष्ट करने की वर्तमान प्रक्रिया का मूल्यांकन किया गया और संगत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगतियों पर ध्यान दिया गया। इसमें रसायन उद्योग के परीक्षण से संबंधित विधियों की भी समीक्षा और जांच की गई। सम्मेलन रसायनिक हथियार समझौते के लागू होने के अगले चरण के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस समीक्षा सम्मेलन में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का प्रतिनिधित्व था। विभाग ओ पी सी डब्ल्यू के विभिन्न सत्रों और गतिविधियों में भारतीय रसायन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाग लेता रहा है।

2.7 समझौते के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रत्येक देश द्वारा स्वदेशी विधान बनाना अपेक्षित है जिसके अनुसार अनुसूचीबद्ध रसायनों में विभिन्न कार्यकलापों के बारे में सही जानकारी देना अनिवार्य है। सी डब्ल्यू सी अधिनियम 28 अगस्त, 2000 को अधिनियमित किया गया है।

ग. पेट्रोरसायन उद्योग

पेट्रोरसायन उद्योग जिसमे मुख्य रूप से पॉलीमर, सिन्थेटिक फाइबर, फाइबर मध्यवर्ती, एलास्टोमर्स, सरफेक्टेट्स, डिटेर्जेंट्स, परफारमेंस प्लास्टिक्स, एरोमेटिक्स और ओलेफिन्स शामिल हैं, में 1999-2000 से उत्पादन के सन्दर्भ में मार्च, 2004 के अन्त तक लगभग 9.5% वार्षिक वृद्धि की संभावना है। प्रमुख पेट्रोरसायनों की मांग जो 2002-2003 में 6 मिलियन टन से अधिक हो गई और जिसमें 3.8 मिलियन टन कॉमोडिटी प्लास्टिक तथा 1.8 मिलियन टन सिन्थेटिक फाइबर शामिल हैं, के 2003-2004 के अन्त तक 6.6 मिलियन टन हो जाने की आशा है। इसमें लगभग 4 मिलियन टन कमोडिटी पॉलीमर एवं लगभ 2 मिलियन टन सिन्थेटिक फाइबर निहित हैं। उपभोग में 1999-2000 से लगभग 5% की वृद्धि की संभावना है।

2. भारतीय पेट्रोरसायन उद्योग में उत्पादन और खपत दोनों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान न तो पॉलीमर और न ही सिंथेटिक फाइबर उद्योग में क्षमता संवर्धन हुआ है। तथापि, वर्ष 2002-2003 में उनके उत्पादन में वर्ष 2001-2002 की तुलना में लगभग 5% की वृद्धि हुई और उपर्युक्त के संबंध में 2003-2004 के दौरान 2002-2003 की तुलना में यही वृद्धि दर बनी रहने की आशा है। इनकी मांग जो 2002-2003 में 2001-2002 की तुलना में लगभग 1% बढ़ी है, इसके 2003-2004 के दौरान, 2002-2003 की तुलना में लगभग 5% तक बढ़ने की संभावना है।

3. पेट्रोरसायन उत्पादों में प्रभावी विकास से आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी हुई है और इससे इस क्षेत्रा में आयात निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है। वर्ष 2001-2002, 2002-2003 तथा 2003-2004 के दौरान पेट्रोरसायनों के उत्पादन एवं खपत के ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं :

पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन और खपत

(आंकड़े 000मी० टन में)

श्रेणी	**2001-2002**		**2002-2003**		**2003-2004 ***	
	उत्पादन	**खपत@**	**उत्पादन**	**खपत@**	**उत्पादन**	**खपत@**
सिंथेटिक फाइबर	1667	1717	1755	1801	1785	1900
पालिमर्स	3974	3827	4175	3795	4445	4000
इलास्टोमर्स	79	176	81	188	88	190
सरफेक्टेंटस	425	393	447	391	475	400
परफारमेंस प्लास्टिक्स	90	93	95	100	98	105

योग	6235	6206	6553	6275	6891	6595

टिप्पणियां :

*	अनुमानित
@	उत्पादन+आयात-निर्यात के रूप में परिकलित उपभोग
सिंथेटिक फाइबर में शामिल-तथा	एएफ, एनएफवाई, एनआईवाई/टीसी, पीएफवाई, पीएसएफ, पीपीएफवाई, पीपीएसएफ पीएसएफएफ
पालीमर्स में शामिल-	एलडीपीई, एलएलडीपीई, एचडीपीई, पीपी, पीएस, और पीवीसी तथा इएक्स.पीएस
सिंथेटिक रबड़ में शामिल-	एसबीआर और पीबीआर, एननबीआर, इपीडीएम, इवीए और बुटाइल रबड़
सरफेक्टैंट्स-	एलएबी और इओ
परफारमेंस-प्लास्टिक्स-	एबीएस, नायलोन-6 और 66, पीएमएमए और एसएएन

2.0 असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट

2.1 असम समझौते के अनुसार असम में विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (ए आई डी सी), राज्य सरकार के एक उपक्रम को 3 लाख टीपीए इथाइलीन की क्षमता की गैस क्रैकर काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए आशय पत्रा जारी किया गया था। यह आशय पत्रा बाद में ए आई डी सी और रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि० (आरआईएल) के संयुक्त उद्यम रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लि० को अन्तरित कर दिया गया था। गैस क्रैकर प्रोजेक्ट को एक व्यवहार्य व्यवसायिक प्रस्ताव बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रोत्साहनों/रियायतों की मंजूरी दी है:-

- 377 करोड़ रूपए की एकमुश्त पूंजी की आर्थिक सहायता का प्रावधान।
- प्रोजेक्ट के लिए 600 रू० प्रति हजार मानक क्यूबिक मीटर की दर पर 15 वर्षो की अवधि के लिए 2 लाख टन इथायलीन के उत्पादन हेतु एसोसिएटिड गैस का प्रावधान।
- दुलियाजान गैस सेपरेशन प्लांट से संबंधित व्यय के लिए मेसर्स ऑयल इंडिया लि० को आधारभूत ढांचा आर्थिक सहायता (72 करोड़ रू०) का भुगतान।
- लाकवा में कार्यान्वयन अधीन गेल गैस सेपरेशन प्लांट का एक स्वतंत्र एजेंसी (प्रशुल्क आयोग) द्वारा निर्धारित दर पर प्रोजेक्ट को हस्तांतरण।

2.2 प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं यथा भूमि का अधिग्रहण तथा आर ए पी एल और ओ आई एल/ओ एन जी सी के बीच गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर। रसायन और पेट्रोरसायन विभाग समय-समय पर इन महत्वपूर्ण मुद्दों कि समाधान की समीक्षा करता रहा है। राज्य सरकार ने उपर्युक्त प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए लपेटकटा में 1100 एकड़ भूमि की पहचान की है और प्रोजेक्ट के लिए आर ए पी एल को वांछित भूमि उपलब्ध कराने में कोई समस्या नजर नहीं आती है।

2.3 जहां तक गैस की उपलबधता का संबंध है, आर ए पी एल ने 5 एम एम एस सी एम डी की गैस सप्लाई के लिए ओ आई एल के साथ एक करार पर 19 अक्तूबर, 2000 को हस्ताक्षर किये, जिसे प्रति वर्ष 1,30,000 टन इथाइलीन उत्पादन के लिए पर्याप्त समझा गया। शेष गैस ओ एन जी सी द्वारा सप्लाई की जानी थी। ओ एन जी सी ने 1.35 एम एम एस सी एम डी गैस उपलब्ध कराने की सहमति दी थी।

2.4 तथापि, ओ एन जी सी के गैस के गिरते स्तर के चलते इसे पहले पांच वर्षों के लिए 28000 टन प्रति वर्ष तथा शेष 10 वर्षों के लिए 15000 टन प्रति वर्ष पर्याप्त पाया गया। आर ए पी एल ने महसूस किया कि 2 लाख टन से कम एथीलीन वाली परियोजना व्यवहार्य नहीं होगी और उन्होंने 2 लाख टन एथीलीन के उत्पादन के लिए पर्याप्त गैस पर जोर दिया। चूंकि और गैस उपलब्ध नहीं थी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मामले पर पुन: विचार किया और गैस की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन(आई ओ सी) के जरिए एल पी जी की आपर्ति पर सहमति दी। सरकार द्वारा मंजूर किए अनुसार, 15 वर्षों की अवधि के लिए रियायती दर पर गैस फीडस्टॉक की आपूर्ति हेतु तेल कंपनियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए बड़े कोषों की आवश्यकता है। गैस/एलपीजी की आपूर्ति में शामिल आर्थिक सहायता के कोषों संबंधी मामले को अब सुलझा लिया जाना चाहिए।

2.5 यदि फीडस्टॉक आपूर्ति के मसले को अंतिम रूप दे दिया जाए तो भी यह अनुमान है कि प्रोजेक्ट को पूरा होने में लगभग 4 वर्ष लगेगें। बदले आर्थिक परिदृश्य में असम में ऐसे क्रैकर काम्प्लेक्स की स्थापना की व्यवहार्यता को भी सरकार साथ ही साथ परख रही है।

घ रसायन उद्योग: विकास रणनीति:

1.0 रसायन उद्योग: विकास के लिए उद्योग-सरकार की सहभागिता

1.1 विभाग ने 8 दिसम्बर, 2003 को नई दिल्ली में उद्योग संघों/रसायन, पेट्रोरसायन और भेषज सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श बैठक आयोजित की। इस सत्र का लक्ष्य इन सेक्टरों के लिए विकास रणनीति तैयार करना था और सरकार - उद्योग की सहभागिता को बढ़ावा देना था जिसमें संबन्धित मंत्रालयों/विभागों/ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था।

2.0 रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के लिए मेगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीयल एस्टेट की स्थापना

2.1 रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को कुछ आधारभूत सुविधाओं जैसे एक अच्छा बंदरगाह, रसायन भंडारण टर्मिनल, पर्याप्त बर्थिंग सुविधाओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। वर्तमान में प्रत्येक यूनिट को विशिष्ट सुविधाएं स्वयं तैयार करनी पड़ती हैं जिससे निवेश तथा प्रयास का दुहराव होता है। अत: मेगा रसायन औद्योगिक एस्टेट (एम सी आई ई) की स्थापना की आवश्यकता महसूस की गई।

2.2 ऐसे मेगा रसायन इंडस्ट्रीयल एस्टेट की स्थापना पर रिपोर्ट पर 5 करोड़ रू० की लागत आने की संभावना है। विभाग ने इस मसले पर योजना आयोग के साथ चर्चा की तथा वित्त वर्ष 2003-04 में 2 करोड़ रू० का कोष प्रदान किया गया है। ऐसे व्यवहार्यता अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय के प्रारूप को अंतिम रूप दे दिया गया है। एम सी आई ई की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए परामर्शदाता को चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

3.0 इंडिया केम 2004

3.1 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के साथ मिलकर वर्ष 2000 और 2002 में इंडिया केम समारोह आयोजित किया।

3.2 अगला इंडिया केम 2004 समारोह एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और रसायनों, पेट्रोरसायन, भेषजों तथा प्रसंस्करण व संयंत्र मशीनरी पर सम्मेलन 3 से 5 नवम्बर, 2004 तक एन एस इ कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किया जाएगा। जापान इंडिया केम 2004 में साझेदार राष्ट्र बनने पर सहमत हो गया है। रसायन उद्योग के महत्वपूर्ण अंगों की एक वृहद् क्रेता-विक्रेता बैठक भी आयोजित की जा रही है। यह तकनीकी साझेदारी/संयुक्त उद्यमों आदि के लिए उपयुक्त मंच है।

III: भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना

1.0 दिसम्बर, 1984 में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्टरी के भण्डारण टैंकों में संग्रहीत मिथाइल आइसोसाइनेट (एम आई सी) नामक घातक गैस रिस जाने से भोपाल शहर के अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा भारी संख्या में व्यक्ति घायल हो गए थे। इसके बाद राज्य तथा केन्द्र सरकार ने विभिन्न राहत एवं पुनर्वास उपाय किए थे।

2.0 भोपाल गैस पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कार्य योजना

2.1 केन्द्र सरकार ने पुनर्वास कार्य के लिए 1985 से चार वर्ष की अवधि में 102 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तदुपरांत, पीड़ितों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण संबंधी पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार ने 163.10 करोड़ रूपए की एक कार्य योजना मंजूर की थी। बाद में परिव्यय को बढ़ाकर 258 करोड़ रूपए किया गया था। यह परिव्यय केन्द्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच 75 : 25 के अनुपात में शेयर किया जाना था। केन्द्र सरकार ने अपने भाग के रूप में परिव्यय का 75 प्रतिशत दे दिया है। यह निर्णय लिया गया कि कार्य योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं के संबंध में रख-रखाव तथा होने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार अपनी वार्षिक योजना में समुचित प्रावधान करेगी।

3.0 भोपाल में विशिष्ट अस्पताल

3.1 उच्चतम न्यायालय ने 3.10.1991 के अपने आदेश के तहत निर्देश दिए थे कि भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल के विनिर्माण, उसकी साज-सज्जा तथा उसके कार्यकलापों के लिए यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन, (यू सी सी) द्वारा 8 वर्षों तक वित्त पोषण किया जाए। कंपनी ऐसा करने के लिए इस शर्त पर सहमत हो गई थी कि उन्हें उसके पास रखे गए यूनियन कार्बाइड इंडिया लि०, (यू सी आई एल) के शेयरों को बेचकर धनराशि जुटाने के लिए अनुमति दी जाए जो कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामले में न्यायिक अदालत द्वारा कुर्क किए गए थे। इस अनुरोध से सहमत होकर उच्चतम न्यायालय ने शेयरों की बिक्री के निर्देश दिए थे और उसके विक्रयागम में से कंपनी को उक्त प्रयोजनार्थ 65 करोड़ रूपए दिये थे। भारत सरकार ने 57 करोड़ रू० उपलब्ध कराए थे जो कुर्क किए गए कंपनी के शेयरों की बिक्री से हुए पूंजीगत लाभ और शेयरों पर लाभांश के रूप में वसूल किए गए थे। राज्य सरकार ने 52.34 एकड़ भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई थी और तत्पश्चात 28.45 एकड़ अतिरिक्त निजी भूमि भी उपलब्ध कराई थी। उच्चतम न्यायालय ने अतिरिक्त सुविधाएं यथा एक कार्डियो थोरेसिक सर्जरी यूनिट, अनुसंधान एवं शिक्षण केन्द्र तथा 10 मिनी यूनिट स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1996 में 187 करोड़ रूपए की राशि तथा कुर्की राशि पर प्राप्त ब्याज राशि दी थी।

3.2 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, भोपाल मेमोरियल अस्पताल ट्रस्ट नामक एक नया न्यास विशिष्ट अस्पताल के विनिर्माण, उपकरण लगाने तथा प्रबंधन की देखभाल करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायधीश श्री ए एम अहमदी की अध्यक्षता में अगस्त, 1998 में गठित किया गया था। भोपाल मेमोरियल अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र का 5 सितम्बर, 2002 को उद्घाटन किया गया था।

4.0 मुआवजा दावों का अधिनिर्णय

4.1 दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान हेतु दावों के अधिनिर्णय की प्रक्रिया फरवरी, 1992 में आरंभ हुई थी। धनराशि का वास्तव में वितरण अक्तूबर, 1992 में ही शुरू किया जा सका, जब उच्चतम न्यायालय के आदेशों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पास यूनियन कार्बाइड लि० द्वारा जमा की गई मुआवजा राशि दावों के अधिनिर्णय के लिए कल्याण आयुक्त को हस्तांतरित की गयी थी।

4.2 उन व्यक्तियों, जो दावा अर्जियों के दायर करने के लिए अनुमत्य पांच वर्ष की अवधि में भी दावे दायर नहीं कर सके, को एक और अवसर देने के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना, दावों का पंजीकरण और कार्रवाई योजना, 1985 की धारा 4 (1) के तहत 2 दिसम्बर, 1996 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। 2.12.1996 की अधिसूचना के प्रत्युत्तर में दायर दावों समेत दावों की कुल संख्या 10,29,515 है और ये सभी दावे 31.12.2003 तक निपटा दिए गए हैं।

4.3 सभी दावों को तेजी से और प्रभावी रूप से निपटाने के उद्देश्य से पिछली प्रक्रिया में संशोधन करते हुए 5.2.2000 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 60 दिनों की समय सीमा 1.3.2000 से निर्धारित की गई जिसमें दावेदारों को अपने उन मामलों को जो प्रेक्षकारों के उपस्थित नहीं होने के कारण निरस्त कर दिए गए थे, को पुन: आवेदन देने की अनुमति दी गई। इस अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कल्याण आयुक्त के कार्यालय को उन सभी मामलों को स्थानीय समाचार-पत्रा में प्रकाशित करने के निर्देश दिए, जो पहले विलंब और प्रस्तुत नहीं होने के कारण निरस्त कर दिए गए थे। लगभग 3.50 लाख ऐसे मामलों की सूची भोपाल के समाचार पत्रा में प्रकाशित की गई थी। उन्हें अपने मामलों को पुन: उठाने के लिए 60 दिन का समय दिया गया था। परिणामस्वरूप 42,000 मामले बहाल किए गए हैं।

4.4 31.12.2003 तक की स्थिति के अनुसार, मुआवजा दावों के निपटान की स्थिति इस प्रकार है :-

31.12.2003 की स्थिति के अनुसार मुआवजों दावों का निपटान

श्रेणी	पंजीकृत मामले	निर्णीत	निपटाए गए मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या	प्रदान की गई कुल राशि रू०/करोड़	वितरति कुल राशि रू०/करोड़	दावाकर्ताओं की कुल संख्या जिन्हें राशि प्रदान की गई
01 (चोट)	10,01,723	10,01,723	5,55,018	शून्य	1447.90	1444.63	5,53,306
02 (पशुधन की हानि)	658	642	233	शून्य	0.11	0.07	140
03 (संपत्ति की हानि)	4,901	4,901	544	शून्य	0.14	0.12	490
04 (मृत्यु)	22,149	22,149	15,256	शून्य	87.81	87.36	14,982
05 (पीएसयू मामले)	**84**	**84**	**07**	**शून्य**	**0.04**	**0.02**	**04**
योग	**10,29,515**	**10,29,515**	**5,71,058**	**शून्य**	**1536.00**	**1532.20**	**5,68,922**

IV: सार्वजनिक क्षेत्रा के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

क. औषध तथा भेषज उपक्रम

औषध उद्योग क्षेत्रा में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्राण में पांच केन्द्रीय सरकारी उपक्रम तथा छ: संयुक्त क्षेत्रा के उपक्रम हैं। इसके अतिरिक्त दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं। इन संगठनों के बारे में संक्षिप्त जानकारी परवर्ती अनुच्छेदों में दी जा रही है।

1.0 इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल)

1.1 इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) को 5 अप्रैल, 1961 को निगमित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आवश्यक/जीवन रक्षक औषधों तथा दवाइयों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। इस कंपनी के पास तीन उत्पादक संयंत्रा हैं, इनमें से एक उत्तरांचल के ऋषिकेश में, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में और हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। आई डी पी एल के पास दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं जिनके नाम हैं - आई डी पी एल (तामिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई, तामिलनाडु तथा बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिकस लि०, मुजफ्फरपुर, बिहार। इसके अतिरिक्त आई डी पी एल के पास संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रवर्तित तीन संयुक्त क्षेत्रा के उपक्रम हैं। ये हैं :- राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि०, (आर डी पी एल) जयपुर, उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० (यू पी डी पी एल), लखनऊ और उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि० (ओ डी सी एल) भुवनेश्वर।

1.2 आई डी पी एल को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, (बी आई एफ आर) द्वारा औपचारिक रूप से दिनांक 12 अगस्त, 1992 को रूग्ण घोषित किया गया था। कंपनी के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज बी आई एफ आर द्वारा 10 फरवरी, 1994 को अनुमोदित किया गया था। बी आई एफ आर ने समय-समय पर मामले की सुनवाई की।

1.3 बी आई एफ आर ने आई डी पी एल के परिसमापन के लिए सभी संबंधित पार्टियों को 8 मार्च, 2001 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। सरकार ने बी आई एफ आर को सूचित किया है कि कंपनी का निजीकरण सहज-सुकर बनाने के लिए इसके तुलन पत्रा का परिमार्जन करने के लिए नीति कुशल भागीदारों को शामिल करने के माध्यम से इसके निजीकरण को सहज-सुकर बनाने के लिए सरकार निम्नलिखित रियायतें/सुविधाएं प्रदान करना चाहती है :-

- सरकार के ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना,
- ब्याज/दांडिक ब्याज और भारत सरकार द्वारा गारंटी फीस को बट्टे खाते डालना,
- बकाया सांविधिक धनराशियों का भुगतान और वी आर एस का निधियन करना।

1.4 तद्नुरूप, बी आई एफ आर ने प्रचालन एजेंसी (आई डी बी आई) को निर्देश दिए कि आई डी पी एल की सभी इकाइयों, बाद में दोनों पूर्ण स्वामितव वाली सहायक कंपनियों के निजीकरण हेतु प्रस्ताव आमंत्रि त करे।

1.5 सरकार ने लोक उद्यम विभाग तथा वित्त मंत्र ालय के परामर्श से आई डी पी एल में वी आर एस की भी पेशकश की है। परिणमस्वरूप, 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार कुल 6592 कर्मचारियों (पूर्ण स्वामित्व वाली दोनों सहायक कंपनियों सहित) में से अब तक 6531 कर्मचारियों ने वी आर एस में रूचि दिखाई। सरकार ने अब तक इस उद्देश्य के लिए 441 करोड़ रू जारी किए हैं तथा आई डी पी एल ने अब तक (31.10.2003 तक) 5890 कर्मचारियों को विलगित किया है। अभी आई डी पी एल के पास 702 कर्मचारी हैं।

1.6 बी आई एफ आर ने 4.12.2003 को हुई अपनी बैठक में अपनी प्रथम दृष्टया राय की पुष्टि की कि यदि रूग्ण कंपनी आई डी पी एल का अधिनियम की धारा 20(1) के तहत परिसमापन कर दिया जाए तो यह बिल्कुल न्यायसंगत तथा जनहित में होगा।

1.7 बी आई एफ आर के माध्यम से कंपनी के भविष्य पर निर्णय को स्थगित रखते हुए सरकार, कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी जैसी देयताओं की पूर्ति के लिए गैरयोजना कोष द्वारा कंपनी को मदद देती रही है।

2.0 हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल)

2.1 हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) पिंपरी, पुणे को 30 मार्च, 1954 को निगमित किया गया था। औषध और भेषज क्षेत्रा में यह पहली सरकारी कंपनी थी। एच ए एल का संयंत्रा पिंपरी, पुणे (महाराष्ट्र राज्य) में है। संयुक्त क्षेत्रा के एक उपक्रम नामत: एच एम जी बी, जो कि मैक्स जी बी नामक एक गैर-सरकारी क्षेत्रा की कंपनी के साथ बनाया गया उद्यम है, के अतिरिक्त संबंधित राज्य सरकारों के वित्तीय/औद्योगिक संगठनों के सहयोग से एच ए एल द्वारा प्रवर्तित संयुक्त क्षेत्रा की तीन इंकाइयां हैं। ये कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मा० लि० (के ए पी एल), बेंगलूर, कर्नाटक में, महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एंड फार्मा० लि० (एम ए पी एल), नागपुर, महाराष्ट्र में तथा मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मा० लि० (एमएसडीपीएल), इम्फाल, मणिपुर में हैं। एच ए एल के मुख्य उत्पाद - प्रपुंज औषध पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन के विविध साल्ट हैं। यह कंपनी एग्रोवेट उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के भेषजीय सूत्राों का उत्पादन करती है।

2.2 कंपनी का मामला जनवरी, 1997 में बी आई एफ आर को भेजा गया था और इसे 31.3.97 को औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया था। बी आई एफ आर ने तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने तथा रिपोर्ट पेश करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), मुम्बई को प्रचालन एजेंसी नियुक्त किया। उपयुक्त विचार - विमर्श के बाद सरकार ने मार्च, 2002 में बी आई एफ आर को बताया कि यह कंपनी के पुनर्वास हेतु पूरी तरह तैयार प्रस्ताव पेश करने की स्थिति में नहीं है तथा सरकार कंपनी के प्रबंधन में बदलाव के लिए सहमत है और किसी रणनीतिक साझेदार को विनिवेश करने के भाग के रूप में किसी अतिरिक्त कोष के समावेश के बगैर आर्थिक पुनर्सरचना पैकेज पर विचार के लिए इच्छुक होगी।

2.3 बी आई एफ आर ने 5 सितम्बर, 2003 को हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) के परिसमापन संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किया जो राष्ट्रीय दैनिकों में 14 सितम्बर, 2003 को प्रकाशित हुआ। प्रचालन एजेंसी (आई डी बी आई) द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। प्रचालन एजेंसी (आई डी बी आई) ने 24 नवम्बर, 2003 को एक और बैठक आयोजित की। मामले की बी आई एफ आर द्वारा अंतिम सुनवाई 18 दिसंबर 2003 को हुई। बोर्ड ने कारण बताओ नोटिस को स्थगित रखने और कंपनी तथा बोली लगाने वालों को उनके पूरी तरह तैयार पुनरूद्धार पैकेज ओ ए(आई डी बी आई) को पेश करने के लिए और समय देने का फैसला किया।

3.0 बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, (बी सी पी एल)

3.1 बी सी पी एल निजी क्षेत्रा की एक रूग्ण कंपनी थी जो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स के नाम और शैली में थी। इस कंपनी का प्रबंधन 15 दिसम्बर, 1977 को केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया था। 15 दिसम्बर, 1980 से इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 17 मार्च, 1981 को

बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, (बी सी पी एल) के नाम और शैली में सरकारी क्षेत्रा की एक नई कंपनी निगमित की गई थी।

3.2 कंपनी की 4 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से एक-एक मानिकतला और पानीहाटी, 24 परगना (उत्तर) कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है, एक मुम्बई, महाराष्ट्र में तथा चौथी कानपुर, उत्तर प्रदेश में है। यह कंपनी सल्फ्युरिक एसिड, फेरिक एलम जैसे औद्योगिक रसायनों, कॉस्मेटिक्स तथा घरेलू उत्पादों के अलावा अनेक औषधों तथा भेषजों का उत्पादन तथा विपणन करती है। घरेलू उत्पादों में केंथराइडीन हेयर ऑयल तथा लैम्प ब्रांड फिनोल जैसे सुविख्यात ब्रांड शामिल हैं।

3.3 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने कंपनी को औपचारिक रूप से 14 जनवरी, 1993 को रूग्ण घोषित किया। बी आई एफ आर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी आई आर बी आई अब आई डी बी आई की रिपोर्ट के आधार पर 4 अप्रैल, 1995 को एक पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया गया था। इस पुनरूद्धार की अवधि 1994-95 से आरंभ होकर 10 वर्षो तक की है। वर्ष 1994-95 से 1996-97 के दौरान कम्पनी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त कर सकी। प्रतिवर्ष निवल हानियों में भी महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 1995-96 में कंपनी 8 एकड़ फालतू जमीन तटरक्षक संगठन, रक्षा मंत्रालय को अंतिम रूप से बेचने और इस बिक्री प्रक्रिया से 15.68 करोड़ रूपए जुटाने में समर्थ रही है। अनुमोदित योजना के अनुसार, फालतू जमीन की इस बिक्री से प्राप्त धन का भुगतान, आई आर बी आई (अब आई डी बी आई) तथा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया की बकाया पुरानी देयताओं के लिए किया गया। कंपनी को डब्ल्यू एच ओ जी एम पी (विश्व स्वास्थ्य संगठन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस) प्राप्त है और इसने टिकिया और कैप्सूल विनिर्माण के लिए आई एस ओ 9002 लाइसेंस प्राप्त किए हैं।

3.4 बी सी पी एल द्वारा प्रस्तुत पुनर्संशोधित पुनर्वास योजना पर विचार करने के लिए प्रचालन एजेंसी द्वारा एक पुनरीक्षा बैठक 4 अक्तूबर, 2002 को कोलकाता में आयोजित की गई। तब से सरकार ने दिसंबर, 2002 में रूपान्तरित संशोधित पुनर्वास योजना में मांगे गए राहतों और रियायतों को अपनी स्वीकृति से आई एफ आर को बतला दिया है। बी आई एफ आर द्वारा मामले की समय-समय पर सुनवाई की गई। 14 जनवरी 2004 को हुई अपनी अंतिम सुनवाई में बोर्ड ने 19 अप्रैल, 1995 को अनुमोदित योजना को कतिपय सुधारों के साथ स्वीकृति दी है। बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि भविष्य के प्रचालन से अधिशेष उत्पन्न होगा तथा बी सी पी एल कोष के लिए किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहेगा।

4.0 बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, (बी आई एल)

4.1 यह बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड के नाम और शैली में निजी क्षेत्रा की एक रूग्ण कंपनी थी। इस कंपनी का प्रबंध 18 मई, 1978 को केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया। 1.10.1984 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1.10.84 को बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड के नाम और शैली में एक नई सरकारी क्षेत्रा की कंपनी निगमित की गई। कंपनी के पास दो विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से एक बड़ा नगर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) तथा दूसरी देहरादून, (उत्तरांचल) में स्थित है।

4.2 कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय पुन: संरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा 9 मार्च, 1993 को औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया था। बी आई एफ आर ने समय-समय पर मामले की सुनवाई की। बी आई एफ आर ने 13 सितम्बर 2002 को अपनी अंतिम सुनवाई की तथा कंपनी के परिसमापन के

बारे में अपनी प्रथम दृष्टया राय बानाई। 25 फरवरी 2003 को हुई बी आई एफ आर की सुनवाई में इस राय की पुष्टि हुई।

4.3 कंपनी में वी एस एस लागू करने तथा इसका प्रचालन बंद करने का फैसला किया गया है। तदनुरूप, सभी कर्मचारियों को वीएसएसएस के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया है।

5.0 स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, (एस एस पी एल)

5.1 यह कंपनी स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के नाम और शैली में एक निजी रूग्ण कंपनी थी। 4 मई, 1972 को इस कंपनी का प्रबंधन केन्द्र सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया। 1.10.1977 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकलस लिमिटेड (एस एस पी एल) के नाम और शैली में एक नई सरकारी क्षेत्रा की कंपनी 19 जुलाई, को 1978 को निगमित की गई। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 18, कान्वेंट रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में है।

5.2 कंपनी को औद्योगिक और पुन: संरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा 21 दिसम्बर, 92 को औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया था। बी आई एफ आर ने 31 अगस्त, 1994 को 1994-95 से आरंभ होकर 10 वर्षों के लिए एक पुनरूद्धार पैकेज अनुमोदित किया था जिसे 17 अक्तूबर, 2000 को हुई सुनवाई के दौरान असफल घोषित कर दिया गया।

5.3 बी आई एफ आर ने इस मामले में 3.12.2001 को सुनवाई की और अपनी प्रथम दृष्टया राय की पुष्टि की कि यह उचित, न्यायसंगत और जनहित में होगा कि कंपनी का परिसमापन कर दिया जाए। यह राय माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता को भेजी जा चुकी है। कंपनी में वी एस एस लागू करने तथा इसका प्रचालन बंद करने का फैसला किया गया है। तदनुरूप, सभी कर्मचारियों को वी.एस.एस. के तहत कार्यमुक्त कर दिया गया है।

5.4 भेषजों में सार्वजनिक क्षेत्रा के केन्द्रीय उपक्रमों के उत्पादन तथा बिक्री तथा निवल लाभ/हानि का विवरण :

2002-2003

(करोड़ रूपए में)

पी एस यू का नाम	उत्पादन	बिक्री	शुद्ध लाभ/(हानि)
आई डी पी एल	3.00	2.95	(2.79)
एच ए एल	80.72	77.91	(0.64)
बी सी पी एल	53.63	43.01	2.11

बी आई एल	0.58	0.59	(18.76)
एस एस पी एल	0.34	0.43	(12.89)

2003-2004 (अप्रैल से सितम्बर, 2003)

(करोड़ रूपए में)

पी एस यू का नाम	उत्पादन	बिक्री	शुद्ध लाभ/(हानि)
आई डी पी एल	1.10	1.09	(1.24)
एच ए एल	50.11	41.36	1.58
बी सी पी एल	25.81	21.67	0.20
बी आई एल	0.41	0.37	(8.38)
एस एस पी एल	0.91	0.01	(5.57)

6.0 संयुक्त क्षेत्रा के उपक्रम

राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आर डी पी एल)

6.1 यह इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) तथा राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम, (आर आई आई सी ओ) द्वारा संवर्धित संयुक्त क्षेत्रा का उपक्रम है। इसमें आई डी पी एल का शेयर 51 प्रतिशत है तथा शेष आई आई सी ओ का है। कंपनी को 1978 में निगमित किया गया था तथा इसमें अप्रैल, 1981 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ था। कंपनी का विनिर्माण युनिट तथा पंजीकृत कार्यालय वी के आई इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर (राजस्थान) में स्थित है। यह एक सूत्रायोग यूनिट है जो टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पीने की दवाएं (लिक्विड ओरल्स) तथा इंजेक्शन बनाती है। यह दवा बनाने वाले दो सरकारी उपक्रमों से एक है जो लाभ कमा रहे हैं। विनिवेश आयोग ने यदि आवश्यक हो तो आई डी पी एल के साथ आर आई आई सी ओ के शेयरों को कंपनी में विनिवेश करने की सिफारिश की है और विनिवेश मंत्र ालय ने इस सिफारिश को लागू करने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (यू पी डी पी एल)

6.2 यह इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) तथा प्रदेशीय औद्योगिक निवेश निगम, उत्तर प्रदेश (पी आई सी यू पी) द्वारा संवर्धित संयुक्त क्षेत्रा का उपक्रम है। इसमें आई डी पी एल का शेयर 51 प्रतिशत है तथा शेष पी आई सी यू पी का है। इस कंपनी को 1978 में निगमित किया गया था तथा इसमें वाणिज्यिक उत्पादन अक्तूबर, 1979 में शुरू हुआ था। कंपनी का विनिर्माण यूनिट तथा पंजीकृत

कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके मुख्य उत्पाद तथा औषधीय सूत्रायोग, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, लिक्विड ओरल्स तथा इंजेक्टेबल्स हैं।

6.3 औद्योगिक और वित्तीय पुन: संरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) ने इस कंपनी को 30 दिसम्बर, 1992 को औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया। लंबे समय तक निरंतर प्रयास करने के बाद 22 अगस्त, 1995 को बी आई एफ आर द्वारा एक पुनरूद्धार पैकेज कंपनी के लिए मंजूर किया गया। बी आई एफ आर ने मामले की समय-समय पर सुनवाई की। दूसरी ओर भारत सरकार ने कंपनी के पुनरूद्धार के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से विचार विमर्श किया। यू पी डी पी एल के पुनरूद्धार हेतु 10 करोड़ रू० का एकमुश्त अनुदान प्रदान करने के लिए सरकार ने बी आई एफ आर को 7 मई, 2002 को सूचित किया था कि यू पी डी पी एल को आई डी पी एल से गैर-सम्बद्ध किया जाना है और साथ ही साथ इसकी इक्विटी पी आई सी यू पी ने अपने हाथ में लेनी है।

6.4 प्रचालन एजेंसी ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबद्ध रियायतों/राहतों को ध्यान में रखते हुए पुनरूद्धार योजना का मसौदा तैयार किया था और बी आई एफ आर ने अगस्त, 2002 में हुई सुनवाई में इस पर विचार किया था। बी आई एफ आर ने इस सुनवाई में कंपनी के पुनरूद्धार के लिए एक योजना मंजूर की थी। भारत सरकार द्वारा 10 करोड़ रू जारी करने के साथ-साथ आई डी पी एल की इक्विटी होल्डिंग उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांरित की जानी है। हलाँकि इस विभाग ने आई डी पी एल को 10 करोड़ रू० पहले ही जारी कर दिया है, इस कोष का आगे जारी किया जाना तभी संभव होगा जबकि उत्तर प्रदेश सरकार समूचा इक्विटी होल्डिंग ले लेती है। बी आई एफ आर ने इस मामले में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया।

उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (ओ डी सी एल)

6.5 यह इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) तथा इंडस्ट्रियल प्रमोशन कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड (आई पी आई सी ओ एल) द्वारा संवर्धित संयुक्त क्षेत्रा का उपक्रम है। इसमें आई डी पी एल का शेयर 51 प्रतिशत है तथा शेष आई पी आई सी ओ एल की इक्विटी भागीदारी है। कंपनी 1979 में निगमित की गयी थी तथा सितम्बर, 1983 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया गया था। कंपनी का विनिर्माण इकाई तथा पंजीकृत कार्यालय मंचेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया, भुवनेश्वर, उड़ीसा में स्थित है। यह कंपनी टैबलेट्स, कैप्सूल्स, पाउडर, मरहम आदि के रूप में भेषजीय सूत्रायोग बनाने में लगी हुई है।

6.6 ओ डी सी एल को औद्योगिक और वित्तीय पुन: संरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा 26 अक्तूबर, 1992 को औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया। बी आई एफ आर द्वारा नियुक्त प्रचालन एजेंसी की रिपोर्ट तथा प्रमोटरों द्वारा दी गई सहायता के आधार पर बी आई एफ आर ने ओ डी सी एल के लिए 18 अगस्त,

1994 को पुनरूद्धार पैकेज कंपनी के लिए मंजूर किया था। बी आई एफ आर ने समय-समय पर मामले की सुनवाई की।

6.7 बी आई एफ आर ने 18.12.2000 को सुनवाई में इस योजना को भी असफल घोषित किया है। बी आई एफ आर ने पुनरूद्धार के लिए पूरी तरह से व्यवस्थित किसी प्रस्ताव के अभाव में कंपनी के परिसमापन हेतु एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। बी आई एफ आर ने 8.7.2002 को हुई सुनवाई में प्रचालन एजेंसी को अन्य बातों के साथ-साथ धारा 18 (ii) के तहत या बैगर किसी देयता के धारा 18 (2) (i) के तहत कंपनी की परिसम्पत्तियों की बिक्री हेतु पेशकश आमंत्रि त करते हुए विज्ञापन जारी करने का निदेश दिया था। प्रचालन एजेंसी (आई डी बी आई) द्वारा यह विज्ञापन जारी किया गया था और 13 नवम्बर, 2002 को संयुक्त बैठक हुई थी।

6.8 यह ध्यान में रखते हुए कि कंपनी के पुनर्वास के लिए कोई व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं आया है, बी आई एफ आर ने 8 अप्रैल 2003 के अपने आदेश में यह धारणा बनाई कि रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 की व्यवस्थाओं के तहत कंपनी का परिसमापन लोक हित में होगा। कंपनी में वी एस एस लागू करने संबंधी आई डी पी एल का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (के ए पी एल)

6.9 यह कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल एंड डेवलेपमेंट कारपोरेशन (के एस आई आई डी सी) के सहयोग से हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा संवर्धित संयुक्त क्षेत्रा का उपक्रम है। इसमें एचएएल की 59 प्रतिशत तथा शेष के एस आई आई डी सी की इक्विटी भागीदारी है। यह कंपनी 13 मार्च, 1981 को निगमित की गयी थी तथा इसमें वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त, 1984 में शुरू हुआ था। इसकी विनिर्माण इकाई तथा पंजीकृत कार्यालय बंगलौर (कर्नाटक) में है। इसके मुख्य उत्पाद औषधीय सूत्रायोग जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन आदि हैं। अपनी स्थापना के प्रथम वर्ष से ही केएपीएल लाभ अर्जित करता रहा है तथा एक एम.ओ.यू. साईन करने वाली कंपनी है। विनिवेश आयोग ने अपनी 18 वीं रिपोर्ट में संस्तुति की है कि यदि आवश्यक हो, के ए पी एल की सारी इक्विटी का राज्य सरकार के शेयर सहित, किसी सामरिक क्रेता को विनिवेश कर दिया जाए। विनिवेश मंत्र ालय ने इस संस्तुति को स्वीकार कर लिया है।

महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एम ए पी एल)

6.10 यह महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक निगम (एस आई सी ओ एम) के सहयोग से हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा संवर्धित संयुक्त क्षेत्रा का उपक्रम है। इसमें एचएएल की इक्विटी भागीदारी 52 प्रतिशत तथा एस आई सी ओ एम की 38 प्रतिशत और आई डी बी आई की 10 प्रतिशत है। इस कंपनी को नवम्बर, 1979 को निगमित किया गया था तथा इसमें वाणिज्यिक उत्पादन मई, 1981 में शुरू हुआ था। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय तथा फैक्टरी नागपुर (महाराष्ट्र) में स्थित है।

6.11 बी आई एफ आर ने 14.1.97 को औपचारिक रूप से एमएपीएल को रूग्ण घोषित किया। बी आई एफ आर ने मामले की समय-समय पर सुनवाई की। 4.7.2000 को हुई सुनवाई में बी आई एफ आर ने एस आई सी ए, 1985 की धारा 20 (1) के तहत कंपनी को बंद करने हेतु निदेश दिए। भारत सरकार ने बी आई एफ आर के प्रस्ताव से सहमत होने का निर्णय लिया है।

6.12 मुम्बई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के आदेशानुसार सरकार ने एम ए पी एल में वी एस एस लागू किया है तथा आई.डी अधिनियम के तहत कंपनी के परिसमापन के लिए कार्रवाई की जा रही है। तदनुरूप, एम ए पी एल में वी एस एस लागू किया गया है और अधिकांश कर्मचारी विमुक्त किए जा चुके हैं।

मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (एमएसडीपीएल)

6.13 यह मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एम ए एन आई डी ओ) के सहयोग से हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा संवर्धित संयुक्त क्षेत्रा का उपक्रम है। इसमें 51 प्रतिशत एचएएल की तथा शेष एमएएनआईडीओ की पूंजी भागीदारी है। इस कंपनी को 18 जुलाई, 1989 को निगमित किया गया था। विनिर्माण इकाई तथा पंजीकृत कार्यालय इम्फाल, मणिपुर में स्थित है।

6.14 समय और लागत की अधिकता के कारण यह परियोजना पूरी नहीं की जा सकी। अगस्त, 1997 में यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए किसी पेशेवर परामर्शदाता की रिपोर्ट प्राप्त की जाए। परामर्शदाता, नामत: मे० बिजनेस होरीजन की अंतिम रिपोर्ट मई, 1999 में प्राप्त हुई थी।

6.15 मामला मणिपुर सरकार को एमएस डी पी एल की व्यवहार्यता पर उसके विचार जानने के लिए अगस्त, 2000 में भेजा गया। रिपोर्टों के आधार पर मणिपुर सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम/कामगार अनुकंपा अधिनियम के तहत छँटनी लाभों के साथ कर्मचारियों के विलगन के बाद एम एस डी पी एल को समाप्त करने की पेशकश की है। मामला विचाराधीन है।

7.0 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

आई डी पी एल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई

7.1 बीआईएफआर द्वारा 1994 में अनुमोदित पुनरूद्धार योजना की शर्तों के अनुसार चेन्नई स्थित आई डी पी एल के सर्जिकल और सूत्र योग यूनिट को 01 अप्रैल, 1994 से आई डी पी एल (तमिलनाडु) लिमिटेड, चेन्नई के नाम और शैली में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस यूनिट की संपूर्ण इक्विटी पूंजी आई डी पी एल के पास है। 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार 59 करोड़ रूपए की विगत दीर्घावधिक देयताओं को आई डी पी एल ने स्वीकार कर लिया है।

बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिकस केमिकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर

7.2 आई डी पी एल (तमिलनाडु) लिमिटेड की तरह औद्योगिक तथा वित्तीय पुन: संरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजना के अनुसार आई डी पी एल मुजफ्फरपुर (बिहार) स्थित आर्गेनिक केमिकल्स एंड ड्रग्स मैनुफैक्चरिंग युनिट को 1.4.1994 से बिहार ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, मुजफ्फरपुर के नाम और शैली में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी में बदल दिया गया है। इस यूनिट की संपूर्ण इक्विटी पूंजी आई डी पी एल के पास है। 31.3.1994 तक 36 करोड़ रूपए की विगत दीर्घावधिक देयताएं आई डी पी एल ने स्वीकार कर ली हैं।

ख. रसायन और पेस्टिसाइड उपक्रम

1.0 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड

1.1 हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एच आई एल) को 1954 में निगमित किया गया था और भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (एनएमईपी) की मांग को पूरा करने के लिए 1400 एम टी तकनीकी डीडीटी तथा इसके सूत्रायोग से 50% डब्ल्यू डी पी के विनिर्माण हेतु दिल्ली में इसकी फैक्टरी लगाई गई थी। यह संयंत्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन से एक उपहार के रूप में आया था और इसमें उत्पादन अप्रैल, 1955 में प्रारंभ हंआ था। वर्ष 1958-59 में इस इकाई की उत्पादन क्षमता दोगुनी कर दी गई थी और तत्पश्चात वर्ष 1969 में इस संयंत्रा की क्षमता को 5488 एमटी प्रतिवर्ष करने के लिए और बढ़ाया गया था। इस कंपनी ने 1957 में कोचीन के पास उद्योगमंडल में प्रतिवर्ष 2688 एमटी सूत्रायोग डीडीटी के विनिर्माण हेतु अपनी दूसरी फैक्टरी स्थापित की। कृषि तथा जन स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 3000 एमटी बेंजीन हेक्साकलोराइड (बीएचसी) के विनिर्माण के लिए 1971 में एक संयंत्रा स्थापित किया गया था। कंपनी ने 1977 में रसायनी, महाराष्ट्र में प्रतिवर्ष 1800 एमटी तकनीकी मेलाथियान तथा प्रतिवर्ष 3200 एमटी तकनीकी मेलाथियान (सूत्रायोग), जो जन स्वास्थ्य हेतु कीटनाशक है, को तैयार करने हेतु एक संयंत्रा स्थापित किया था। इसके अतिरिक्त 1983 में रसायनी में डीडीटी सूत्र योगों की प्रतिवर्ष 10000 एमटी क्षमता वाला अन्य डीडीटी तकनीकी संयंत्रा भी स्थापित किया गया था।

1.2 कृषि पेस्टिसाइड्स में विविधीकरण के उद्देश्य से एचआईएल मंडल में इन्डोसल्फान तकनीकी 1600 एमटी तथा इसके सूत्रायोग 1910 कि० लिटर क्षमता की विनिर्माण मूलक सुविधाएं स्थापित की। उद्योगमंडल

इकाई में 150 एमटी प्रतिवर्ष डायकोफाल तकनीकी का विनिर्माण करने के लिए एक नया संयंत्र जुलाई, 1996 में चालू किया गया था। इसके अतिरिक्त उद्योग मंडल इकाई में मेनकोजेंब तकनीकी का विनिर्माण करने के लिए 1000 टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक संयंत्र 2002-03 के दौरान चालू किया गया।

1.3 रसायनी में 1990-91 में बूटाक्लोर तकनीकी 1000 एम टी, बूटाक्लोर सूत्र योग 905 कि० लि० और मोनोक्रोटोफोस तकनीकी 300 एमटी व मोनोक्रोटोपुस सूत्र योग 255 कि०लि० की विनिर्माण सुविधाऐं भी स्थापित की गई थीं।

1.4 इस कंपनी के पास एक परीक्षणमूलक फार्म सहित उद्योगविहार, गुड़गांव में एक पूरी तरह से सुसज्जित केन्द्रीय अनुसंधान एवं विकास काम्प्लेक्स है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षो के दौरान अपनी उत्पाद शृंखला में अनेक कृषि पेस्टिसाइड सूत्र योगों जैसे डाइफ्लूबेंजुरोन, इथिओन, कार्बनडइजीम, स्ट्रेप्टोसायक्लिन, इमिडक्लोरपिड, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, फोरेट, अल्फामेथ्रीन तथा मेट्रीबुजीन को भी जोड़ा है।

1.5 योजना के विविधिकरण के भाग के रूप में इस कंपनी ने एच आई एल के डीलर्स नेटवर्क के जरिए अपने तरल जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशकों को बेचने के लिए विपणन व्यवस्था हेतु मेसर्स इंटरनेशनल पेनेसिआ लि०, नई दिल्ली के साथ एक अनुबंध किया है और प्रथम वर्ष 2002-03 में 10 करोड़ रू० का कारोबार किया।

1.6 इस कंपनी का मुख्य ध्येय उचित मूल्यों पर उचित लाभ प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता वाले इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड प्रदान करना है।

1.7 एच आई एल का कार्य निष्पादन

लाख रूपए में

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	बिक्री कारोबार	निवल लाभ/हानि
1998-1999	15705	13219	(-) 558.07
1999-2000	16539	12396	(-) 1408.00
2000-2001	14795	12049	(-) 1545.00
2001-2002	15681	11476	(-) 1541.00
2002-2003	14823	14539	(-) 1547.86

प्रचालन परिणामों में वर्ष 2002-03 तक कमी मुख्य रूप से दिल्ली इकाई में अन्य स्थापना खर्चों तथा कार्यविहीन दिहाड़ियों के भुगतान से हुए खर्च के कारण कंपनी पर निरंतर बोझ के कारण हुई।

2.0 एच आई एल की दिल्ली फैक्टरी को बन्द करना/स्थान बदलना

2.1 माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक समादेश याचिका में अपने आदेश दिनांक 8.7.96 के तहत कंपनी की दिल्ली फैक्टरी को 30.11.1996 से बन्द करने/इसका अवस्थल अन्यत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है। कंपनी ने दिल्ली फैक्टरी के प्रचालनों का अवस्थल अन्यत्र निर्धारित करने के लिए ग्रेन्यूल्स, तरल और ठोस सूत्रायोगों के लिए भटिण्डा, पंजाब में सूत्रायोग संयंत्र स्थापित किया जिसका उद्घाटन माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा 5-4-2003 को किया गया।

3.0 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

3.1 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) को रसायन/मध्यवर्तियों के लिए विनिर्माण क्षमताएं स्थापित करने के लिए 12 दिसम्बर, 1960 को निगमित किया गया था जो रंजक, रंजक मध्यवर्तियों, रबड़ रसायनों, पेस्टिसाइड्स, औषधों और भेषजों, लेमिनेट्स आदि के उत्पादन के लिए आवश्यक होते हैं। यह आशा थी कि इन रसायनों एवं मध्यवर्तियों के स्वदेशी विनिर्माण से डाउनस्ट्रीम उद्योग को गति मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्रा में देश के लिए आत्मनिर्भरता की प्राप्ति होगी और रसायन इकाइयों की स्थापना होगी। एच ओ सी एल को स्थापित करने का यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है क्योंकि इस समय एचओसीएल के उत्पादों पर आधारित 500 से भी अधिक इकाइयाँ देश भर में स्थापित की गई हैं जिनसे न केवल आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद मिली है, बल्कि इन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रवेश किया है और ये कई वर्षों से रसायनों, रंजक और औषधों का निर्यात करके बहुमूल्य विदशी मुद्रा अर्जित कर रही हैं।

3.2 एच ओ सी एल द्वारा विनिर्मित उत्पादों में फिनायल, एसीटोन, फार्मेलडिहाइड, नाईट्रोबेंजीन, एनीलीन, नाइट्रोटोल्यून, क्लोरोबेंजीन्स, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड शामिल हैं। एचओसीएल द्वारा प्रयुक्त कच्चे माल में बेंजीन, टोल्यून, एलपीजी, मेथनोल, नेपथा और सल्फर शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश पेट्रोलियम रिफाइनरियों से आते हैं।

3.3 एचओसीएल की दो इकाइयाँ रसायनी, (महाराष्ट्र) में और कोच्चि (केरल) में हैं। इसकी मे० हिन्दुस्तान फलूरोकार्बन्स लिमिटेड नामक एक सहायक कंपनी भी है जो रूद्रराम, (आंध्र प्रदेश) में स्थित है और यह प्लाइटेट्रा-फ्लूरो इथाइलीन (पीटीएफई) का विनिर्माण करती है जो कि उच्च प्रौद्योगिकी इंजीनयरिंग प्लास्टिक है।

3.4 प्रमुख दुर्घटना जोखिम (एम ए एच) वाली इकाई के रूप में वर्गीकृत एच ओ सी एल कोच्चि इकाई जो कि 1987 में चालू की गई थी, ने बहुत ही अच्छा सुरक्षा कार्य निष्पादन रिकार्ड कायम किया है। कंपनी की ओर से ठोस उपायों के कारण इस कंपनी में अनेक वर्षों से निरंतर दुर्घटनाओं का आंकड़ा 'शून्य' रहा है। कोच्चि इकाई पिछले 13 वर्षों से निरन्तर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त करती आ रही है। कोच्चि इकाई को अपने सुरक्षा कार्य-निष्पादन में संगठन की प्रशंसनीय उपलब्धि हेतु मान्यता मिलने से इसे भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से "योग्यता प्रमाण पत्रा" भी प्राप्त हुआ है। "जवाबदेह

देखभाल” प्रबंधन पर हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में एक कंपनी यह भी है और यह अपनी निगमित दार्शनिकता के अनुरूप सुरक्षित प्रचालन और लोक स्वास्थ्य के प्रति वचनबद्ध है।

3.5 31.3.2003 को कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमश: 70.00 करोड़ रूपए और 67.27 करोड़ रूपए थी।

3.6 विगत पांच वर्षो के दौरान कंपनी के वास्तविक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष	उत्पादन (एमटी)	कारोबार (रू० करोड़)	निवल लाभ/हानि (रू० करोड़)
1998-1999	340713	416.53	(-) 23.07
1999-2000	323203	421.18	(-) 105.02
2000-01	231972	407.86	(-) 39.06
2001-02	200810	301.04	(-) 62.68
2001-02	278399	467.21	(-) 43.12

3.7 कंपनी की कोच्चि इकाई ने वर्ष के दौरान पहले की तरह उत्पादन तथा लाभदेयता के उच्च स्तर को बरकरार रखते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रासायनी इकाई ने भी क्षमता उपादेयता के वांछित स्तरों को प्राप्त किया। लागत में कटौती के उपायों को लागू किए जाने से वर्ष के दौरान और ज्यादा बचत हुई है और उन्नति की प्रवृति चालू वर्ष में भी सतत आधार पर बरकरार रहने की संभावना है।

3.8 वर्ष के दौरान उत्पादन तथा विक्रय में भी पिछले वर्ष की तुलना में भारी वृद्धि देखी गई। वर्ष 2001-02 के 200810 मि०ट० उत्पादन की तुलना में वर्ष 2002-03 में कंपनी का उत्पादन 278399 मि०ट० रहा। बिक्री ने मात्र ा तथा मूल्य दोनों ही स्तरों पर भारी वृद्धि दर्ज की तथा वर्ष 2001-02 के 113769 मि०ट० और 273.57 करोड़ रू० (उत्पादन शुल्क के बिना) की तुलना में क्रमश: 147094 मि०ट० तथा 400.04 करोड़ रूपये रही।

3.9 कंपनी ने वर्ष 2002-03 में सरकार से प्राप्त 9.10 करोड़ रू० के बजटीय समर्थन का उपयोग करते हुए रासायनिक संयंत्र ों की अच्छी दशा बरकरार रखी।

ग. पेट्रोरसायन उपक्रम/संगठन

1.0 इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आइ पी सी एल)

1.1 गैर-बुनियादी कंपनियों में सरकार द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया के अंग के रूप में सरकार ने 4.6.2002 को आई पी सी एल की 26% इक्विटी का विनिवेश किया। विनिवेश के लिए मेसर्स रिलाएंस पेट्रोइंवेस्टमेंट्स लिमिटेड का स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में चयन किया गया। 21.5.2002 को शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये गए तथा अंतिम शेयरधारक समझौते तथा अन्य समझौतों, नामत: गारंटी समझौता तथा हस्तांतरण नियंत्र ण समझौता पर 4.6.2002 को हस्ताक्षर किए गए। विनिवेश के बाद, आई पी सी एल, केन्द्र सरकार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं रहा।

1.2 विनिवेश से पूर्व, सरकार के पास रू० 10/- प्रति शेयर के दर पर आई पी सी एल के 14.88 करोड़ रू० के शेयर थे, जो कंपनी की प्रदत्त इक्विटी के 59.95% थे। विनिवेश होने पर, 26% इक्विटी के 6,45,38,662 शेयरों का विनिवेश किया गया। विनिवेश के बाद, अब भी सरकार के पास आई पी सी एल के 8,42,61,338 शेयर हैं, जो इक्विटी के 33.95% हैं। 231/- रू० प्रति शेयर की दर पर 6,45,38,662 शेयरों (26%) की बिक्री से सरकार को 1490.84 करोड़ रू० प्राप्त हुए। स्ट्रेटजिक पार्टनर, नामत: रिलाएंस पेट्रोइंवेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के बाद, शेयरहोल्डर समझौते के प्रावधानों के आधार पर स्ट्रेटजिक पार्टनर द्वारा आई पी सी एल के निदेशक-मंडल का पुनर्गठन किया गया तथा स्ट्रेटजिक पार्टनर यानि रिलाएंस पेट्रोइंवेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा कंपनी का प्रबंधन किया जा रहा है। शेयरहोल्डर समझौते के प्रावधानों के आधार पर भारत सरकार द्वारा आई पी सी एल के बोर्ड में दो निदेशकों को नामित/नियुक्त किया गया है।

2.0 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड (पी सी एल)

2.1 पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड (पी सी एल) को भारत सरकार और वीवर्स सहकारिताओं के संयुक्त उद्यम के रूप में 1974 में पंजीकृत किया गया था। पीसीएल का प्रमुख उद्देश्य कोआपरेटिव क्षेत्रा में समाज के कमजोर वर्ग, यथा बुनकरों को पालिएस्टर फिलामेंट यार्न (पीएफवाई) की आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करना था। भारत सरकार और एनसीडीसी के अतिरिक्त, पीसीएल में देश भर में इसके सदस्य के रूप में 1446 वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं।

2.2 पीसीएल की अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रूपए थी, जिसमें से प्रदत्त पूंजी 20.39 करोड़ रूपए थी। पीसीएल में सरकार की होल्डिंग 17.17 करोड़ रूपए थी जो कि प्रदत्त पूंजी के 84% थी।

2.3 चूंकि इस सोसाइटी को 1994-95 से घाटा होना शुरू हुआ था तथा इसके पुनरूद्धार प्रस्ताव को आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया, अत: सरकार ने इस सोसाइटी का परिसमापन करने का निर्णय लिया। सोसाइटी की परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सहकारी समितियों के केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा

11.4.2002 को एक परिसमापक नियुक्त किया गया। परिसमापक सोसाइटी के परिसमापन के लिए कार्यवाई कर रहा है।

2.4 वित्तीय संस्थाओं/बैंको द्वारा किए गए आवेदन पर ऋण वसूली प्राधिकरण ने अप्रैल 2001 में पी सी एल की परिसंपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी। जब तक यह रोक हटा न ली जाय, तब तक परिसमापक पी सी एल के परिसमापन के मामले में आगे बढ़ने में असमर्थ है।

V: संस्थान

क. इंस्टीटयूट ऑफ पेस्टिसाइड फार्मूलेशन टेक्नालॉजी (आई पी एफ टी)

1.0 भारत सरकार द्वारा गुड़गांव में मई, 1991 में यू एन डी पी/यू एन आई डी ओ के सहयोग से स्थापित आई पी एफ टी एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है। इस संस्थान का उद्देश्य है - भारत में कीटनाशक सूत्रायोग तकनीक का विकास। यह संस्थान सक्रिय रूप से नए सुरक्षित तथा पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक सूत्र योग, प्रोन्नयन तथा ऐसी तकनीकों का औद्योगिक क्षेत्राों में स्थानांतरण इत्यादि से जुड़ा हुआ है। आई पी एफ टी ने कई कीटनाशक सूत्र योगों के विकास में सफलता प्राप्त की जिनमें ये शामिल है- सस्पेंशन कंसनट्रेट (एस सी), वाटर डिस्पर्सिवल ग्रेन्यूल (डब्ल्यू जी), कंसनट्रेट इमल्शन (सी इ), केप्स्यूलेटेड सस्पेंशन कंट्रोल्ड रीलिस्ट विशेषताओं के साथ (सी एस), अल्ट्रा लो वेल्यू फार्मूलेशन (यू एल वी), माइक्रोइमल्शन (एम ई) तथा देशी कच्चे माल के प्रयोग से उपभोक्ताओं की आवश्कताओं के लिए तैयार कुछ विशेष प्रिस्क्रिप्शन सूत्र योग। इन तकनीकों के बड़ी मात्राा में उत्पादन तथा क्षेत्र में प्रयोग के लिए ठेके के जरिए भारतीय कीटनाशक उद्योग को स्थानांतरित किया जाना है। इस संस्थान ने बायो-पेस्टिसाइड नामत: वेसिलस थूरिंगजेनसिस तथा बी. स्फेरिकस के लिए सेल्फ-स्प्रेडिंग आयल बेस्ड सूत्र योग का विकास करने में भी सफलता प्राप्त की है। यह संस्थान निरंतर अपनी तकनीकी क्षमताओं को अद्यतन बना रहा है जिससे यह अग्रणी रहे तथा भारतीय उद्योग को नवीनतम कीटनाशक सूत्र योग उपलब्ध करा सके। यह संस्थान एक सूत्र योग प्रयोगशाला एक विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, एक बायो विज्ञान प्रयोगशाला तथा एक पाइलट प्लांट से सुसज्जित है जिससे सूत्र योग तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। वर्ष के दौरान संस्थान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्र ण बोर्ड बायोटेक्नालाजी विभाग से प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं और मैसर्स क्राफ्ट फूड, यूएसए से एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना प्राप्त करने में सफल रहा है।

1.1 यह संस्थान पेस्टिसाइड सूत्रायोग प्रौद्योगिकी विकास तथा गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्रा में यू एन डी पी/यूनिडो के एशिया और प्रशान्त के लिए पेस्टिसाइडों के उत्पादन तथा जानकारी संबंधी क्षेत्रीय नेटवर्क (रेनपैप) की एक तकनीकी समन्वयकर्ता इकाई भी है।

ख. केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

1.0 प्रस्तावना

1.1 केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियिरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्र ण के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1968 में स्थापित किया गया था। सिपेट का मुख्य उद्देश्य छात्र ों को प्लास्टिक के विभिन्न क्षेत्राों जैसे प्लास्टिक उद्योग के लिए सांचा बनाने, सांचे गढ़ने, प्लास्टिक के गुणवत्ता नियंत्र ण एवं परीक्षण, प्लास्टिक प्रसंस्करण इत्यादि में प्रशिक्षित करता है। यह संस्थान अहमदाबाद, अमृतसर, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, हल्दिया, इम्फाल, लखनऊ, पटना तथा मैसूर में स्थित अपने अन्य केन्द्रों में प्लास्टिक के क्षेत्रा में विभिन्न अल्पकालीन पाठ्यक्रम, टेलर मेड पाठ्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम तथा उद्यमी विकास कार्यक्रम इत्यादि भी आयोजित करता है।

लक्ष्य/विभिन्न पाठ्यक्रमों की उपलब्धियां

1.2 संस्थान ने 2001-2002 के दौरान विभिन्न दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में 2366 विद्यार्थियों को भर्ती किए। इसके अतिरिक्त, 2002-2003 में 288 अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिससे 2592 प्रतिभागी लाभान्वित हुए। वर्ष के दौरान, 542 प्रतिभागियों के लिए 56 टेलर मेड पाठ्यक्रम तथा 575 प्रतिभागियों के लिए 33 संस्थागत/ व्यावसायिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष 2003-2004 के लिए दीर्घकालीन पाठ्यक्रमों में 3039 छात्र ों को प्रवेश दिया गया है। अप्रैल-सितम्बर, 2003 के दौरान 153 अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे 1237 प्रतिभागी लाभन्वित हुए। इसी प्रकार, अप्रैल से सितम्बर, 2003 के दौरान 143 प्रतिभागियों के लिए 17 टेलरमेड/माड्यूलर पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गस। इसी अवधि के दौरान, 425 प्रतिभागियों के लिए 21 संस्थागत/व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रा/विशेषज्ञता

1.3 विभिन्न क्षेत्राों में प्लास्टिक के उपभोग में व्यापक वृद्धि होने से, प्लास्टिक उद्योग के लिए अधिक प्रभावी योगदान हेतु केन्द्रित प्रयास करने के लिए प्रत्येक केन्द्र में निम्नानुसार विशेष क्षेप-क्षेत्राों की पहचान की गई है :-

1.4

केन्द्र	:	प्राथमिकता वाले क्षेत्रा/विशेषज्ञताएं
चेन्नई	:	मानकीकरण, प्लास्टिक सामग्री तथा उत्पाद परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्राण
अहमदाबाद	:	प्लास्टिक परीक्षण व प्रसंस्करण मशीनरी विकास
भोपाल	:	कृषि में प्लास्टिक का अनुप्रयोग
भुवनेश्वर	:	आवास एवं पैकेजिंग में प्लास्टिक का अनुप्रयोग
हैदराबाद	:	इंजीनियरी प्लास्टिक का अनुप्रयोग और विकास
इम्फाल	:	जल प्रबंध और घरेलू उपकरणों में प्लास्टिक का अनुप्रयोग
लखनऊ	:	टेलीट्रानिक्स और आटोमोबाइल में प्लास्टिक का अनुप्रयोग
मैसूर	:	प्रेसिजन इंजीनियरिंग में प्लास्टिक

सिपेट के विद्यार्थियों को रोजगार

1.5 इंजीनियरी, विशेषज्ञता के आने से तथा उच्च स्तर के प्लास्टिक, मिश्रण, धातु तथा कम्पोसिट्स से, वाहन, कृषि, एरोस्पेस, रक्षा पैकेजिंग, चिकित्सा, टेलीट्रॉनिक्स, भवन निर्माण इत्यादि में इसके अनुप्रयोग के क्षेत्रा में वृद्धि हुई है। तकनीकी-आर्थिक प्रतिस्पर्धा सहित गुणवत्ता उत्पाद के उत्पादन के लिए निपुण तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता है तथा सिपेट इस क्षेत्रा में जनशक्ति के प्रशिक्षण लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यह अनुमान है सिपेट से प्रशिक्षित 45% स्नातक सुपरवाईजर के रूप में काम कर रहे हैं, 35% प्रबंधक, 10% टेक्नीशियन के रूप में तथा सिपेट से प्रशिक्षित 10% विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय आरंभ कर दिया है। भारत तथा अन्य पड़ोसी देश जैसे यू ए ई, सिंगापुर, मलेशिया, सऊदी अरब में भी विभिन्न स्तरों में रोजगार के लिए उद्योग जगत द्वारा सिपेट से प्रशिक्षित आवेदकों को उचित प्राथमिकता दी जाती है। हाल के वर्षों में, सिपेट से प्रशिक्षित आवेदकों की यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया में भी मांग बढ़ी है।

परीक्षण तथा अन्य सेवाएं

1.6 सिपेट ने कई तकनीकी/विकासमूलक कार्यक्रम आरंभ किए हैं जिसमें उद्योग को परीक्षण तथा परामर्श सेवाएं शामिल हैं। मैसर्स ब्यूरो वेरिटस क्वालिटी इंटरनेशनल (बी बी क्यू आई) ने सिपेट को अनुमोदन प्रमाणपत्रा दिया है तथा प्रशिक्षण तथा तकनीकी सेवाओं के लिए जनवरी, 2002 में आई एस ओ 9001 : 2000 प्रमाणपत्रा प्रदान किया है।

सिपेट को मान्यता

1.7 सिपेट के प्लास्टिक परीक्षण केन्द्रों को निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है :-

- भारतीय मानक ब्यूरो
- परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
- सार्वजनिक उद्यम विभाग
- गुणवत्ता आश्वासन के लिए विभिन्न राज्य सरकार के विभाग
- डी जी एफ टी, आयातित प्लास्टिक सामग्री/उत्पाद के लिए वर्ग विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्र ण के लिए सीमाशुल्क तथा आबकारी विभाग
- तारपोलीन, वोवेन प्लास्टिक बैग, लेमिनेटेड शीट इत्यादि के परीक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम
- आर डी एस ओ, रेल मंत्रालय, भारत सरकार
- टेलीकाम इंजीनियरिंग केन्द्र (टी ई सी), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार
- विभिन्न राज्यों सरकारों के कृषि औद्योगिक विकास निगम

सिपेट चेन्नई, भुवनेश्वर, भोपाल, लखनऊ तथा मैसूर केन्द्र स्थित प्लास्टिक परीक्षण केन्द्रों को एन ए बी एल मान्यता प्राप्त हुई है

विकास परियोजनाएं

1.8 सिपेट द्वारा कई संस्थाओं में विकासमूलक/अन्वेषण अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की गई हैं जो उद्योग से संबंधित हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए सिपेट अत्याधुनिक यंत्राों तथा जनशक्ति से सुसज्जित है। सिपेट के कार्पेरेट कार्यालय में एक व्यापार विकास सेल है जो विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए यू ए ई, फिलीपीन, बहरीन, मलेशिया, श्रीलंका, सऊदी अरब तथा नाइजीरिया से संपर्क बनाए हुए है।

अंतर्राष्ट्रीय सहायता

1.9 प्राथमिकता वाले क्षेत्राों में विकास हेतु सिपेट केन्द्रों में क्षमता निर्माण के लिए 12.30 मिलियन अमरीकी डालर का ओपेक ऋण प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, जिसमें भारत सरकार का 1.37 मिलियन अमरीकी डालर का प्रतिपक्ष व्यय निहित है।

ग. राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर)

1.0 पंजाब राज्य के लिए आर्थिक योजना के भाग के रूप में 99 करोड़ रू० की लागत से राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर) को मोहाली (पंजाब) में स्थापित किया गया था। यह संस्थान पंजाब सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई 130 एकड़ भूमि पर चंडीगढ़ के समीप सेक्टर-67, एसएएस नगर, मोहाली में स्थापित किया गया है।

1.1 भेषजों के क्षेत्रा में अनुसंधान एवं विकास के लिए तथा भेषजीय महाविद्यालयों के लिए उत्कृष्टता के मानक निर्धारित करने के लिए नाइपर की एक मातृ संस्थान के रूप में परिकल्पना की गई है। नाइपर की स्थापना होने से भारतीय भेषज उद्योग तथा व्यवसाय द्वारा कुछेक दशक से की जा रही मांग पूरी हुई है। यह भेषजीय विज्ञानों के क्षेत्रा में भारत में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम संस्थान है और इसे संसद के अधिनियम के द्वारा 26.6.1998 को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

1.2 यह संस्थान 9 विधाओं में मास्टर तथा डाक्टरल कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तथा भारतीय भेषज उद्योग के अनुसंधान तथा विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करने में सहयोग देता है। नाइपर विभिन्न विधाओं में शिक्षाविदों तथा उद्योग के लिए नियमित कार्यक्रम भी आयोजित करता है। शैक्षणिक कार्यक्रम के आरंभ से 142 मास्टर्स और 24 डॉक्टोरल छात्रों ने इस संस्थान से स्नातक किया।

1.3 29 सितम्बर, 2003 को संस्थान का दूसरा दीक्षान्त समारोह हुआ था जिसमें पात्र छात्रों को 8 मास्टर डिग्री और 24 पी०एच०डी० डिग्रियां प्रदान की गई। महामहिम भारत के राष्ट्रपति और संस्थान के विजीटर डा. ए०पी०जे० अब्दुल कलाम मुख्य अतिथि थे। उसी दिन राष्ट्रपति ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र का भी उद्घाटन किया जो हाल ही में स्थापित किया गया है।

1.4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से संस्थन ने एक जैव उपलब्धता केन्द्र स्थापति किया है जो यक्ष्मा रोधी औषओं के निर्धारित खुराक मिश्रण के लिए जैव-उपलब्धता अध्ययन करने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यू०एच०ओ०) द्वारा अनुमोदित दो केन्द्रों में एक है।

1.5 संस्थान के सत्त शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में संस्थान ने "मोडेम एनालिटिकल टेक्निक्स इन क्वालिटी कन्ट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स" पर 1 से 19 सितम्बर, 2003 तक पांचवा तीन सप्ताह का गहन पाठ्यक्रम आयोजित किया। यह पाठ्यक्रम आई०बी०ई०सी० और एस०सी०ए०ए०पी० कार्यक्रम के अंतर्गत विदेश मंत्र ालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है। कुल मिलाकर भूटान, आरमेनिया, थाइलैंड, नाइजीरिया, माले, म्यांमार, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मारीशस और त्रि निदाद और टोबेगो से 26 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

1.6 औषध विनियामक कार्मिक, विश्लेषणों और लघु उद्योगों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्र ालय के तहत क्षमता बढ़ाने की परियोजना में संस्थान को नोडल एजेन्सी के रूप में चयन किया गया है। कुल परियोजना परिव्यय 8.83 करोड़ रूपए है, जिसका वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। संस्थान अगले पांच वर्ष के अंतर्गत लगभग 2000 इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहता है।

VI: सामान्य

1.0 विभाग का संगठनात्मक ढांचा

1.1 विभाग का मुख्य कार्यकलाप विभिन्न प्रकार के रसायनों, पेट्रोरसायनों और भेषज उद्योगों के लिए नीति बनाना, क्षेत्र ीय आयोजना, संवर्धन तथा विकास करना है। विभिन्न प्रकार के रसायनों, भेषजों और पेट्रो रसायन मदों के निर्माण में संलग्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संगठनों के प्रशासनिक और प्रबंधकीय नियंत्र ण विभाग का प्रमुख कार्य है।

1.2 सचिव, भारत सरकार, विभाग के प्रमुख हैं और उनकी सहायता के लिए 3 संयुक्त सचिव हैं। भोपाल गैस विभीषिका और उससे संबंधित विशेष अधिनियम से संबंधित कार्य के लिए एक अनुभाग है। औषध कंपनियों के विरुद्ध देयताओं को निर्धारित करने से संबंधित संपूर्ण मामले की जांच करने और प्रत्येक मामले में भारत सरकार को उसकी सिफारिश करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है।

1.3 "राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण" के नाम से एक संबद्ध कार्यालय है जो भेषजों की कीमत निर्धारण/संशोधन और अन्य संबंधित मामलों की देखरेख करता है। यह नियंत्राण मुक्त औषधों और सूत्र योगों की कीमतों को भी मानीटर करता है और औषध (मूल्य नियंत्र ण) आदेश के प्रावधानों के

कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त विभाग के प्रशासनिक नियंत्र ण में 7 सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और 4 अन्य संगठन हैं। इनके नाम अनुबंध - V में दिए गए हैं।

2.0 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के मुख्य विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांगों को रोजगार

2.1 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के मुख्य सचिवालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ शारीरिक रूप से विकलांगों के रोजगार की स्थिति 31.12.2003 तक निम्न प्रकार है :-

समूह	पदों की कुल सं०	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	शरीरिक रूप से विकलांग
क	49	4	-	-
ख	69	9	-	-
ग	73	8	-	-
घ	62	21	2	-
कुल	253	42	2	-

2.2 समूह “क” पदों में अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के अलावा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं, केन्द्रीय सेवाएं और अन्य विभाग/उपक्रमों के अधिकारी शामिल हैं। समूह “ख” और “ग” के पदों की भर्ती आमतौर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है।

2.3 विभाग अपने प्रशासनिक नियंत्राण मे स्थित सरकारी क्षेत्र ों के उपक्रमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए प्रगति का मानीटर करता है।

3.0 लिंग समता

3.1 कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट कतिपय दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग ने सुश्री वीनू गुप्ता, निदेशक की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति का गठन किया है। समिति के अन्य सदस्य हैं: श्री अनुराग सक्सेना, उप सचिव, सुश्री कैलाश प्रसाद, डेस्क अधिकारी जो अनुसचिवीय स्टाफ की महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं जबकि सुश्री अनुविन्दर वर्के (टायटस) गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधित्व करती हैं। समिति जून, 2002 से कार्यरत है। 2003-04 के दौरान समिति ने विभाग कि अंतर्गत स्वायत्त निकायों में कार्यरत एक अधिकारी से प्राप्त यौन शोषण से संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए अनेक बैठकें आयोजित की। समिति ने माह नवम्बर, 2003 में विभाग को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

4.0 सतर्कता व्यवस्था के कार्यकलाप तथा उपलब्धियां

4.1 विभाग के कर्मचारियों के साथ-साथ इसके नियंत्राण के अधीन सभी सरकारी क्षेत्र ों के उपक्रमों तथा संगठनों के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी है जो संयुक्त सचिव स्तर के हैं। सतर्कता अनुभाग के साथ एक उपसचिव तथा एक अवर सचिव उनकी सहायता करता है।

4.2 बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई जिन पर जांच कर संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही के लिए विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए कुछ मामलों को सी बी आई के पास भेजा गया है।

5.0 कार्यालय का आधुनिकीकरण

5.1 प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग ने वर्ष 1987-88 में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए योजना आरंभ की जिसका उद्देश्य कार्यालय परिसर में कारगर ढांचा तैयार करना है जिससे प्रभावी पर्यवेक्षण तथा जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने में सहयोग मिले। योजना के अंतर्गत, प्रशासनिक तथा लोक शिकायत विभाग अपने बजट से प्रस्ताव की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक आवश्यक वित्तपोषण करता है तथा शेष 25 प्रतिशत संबंधित विभाग द्वारा अपने योजना बजट से वहन किया जाता है।

5.2 प्रशासनिक सुधार और जनशिकायत विभाग(ए०आर०पी०जी०) द्वारा शुरू किए गऐ सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए प्लान स्कीम के तहत इस विभाग में छह हॉल और दो कमरों का पहले ही आधुनिकीकरण कर दिया है। उसके अलावा एक आधुनिक विभागीय अभिलेख कक्ष भी बनाया गया है। कम्प्युटर कक्ष को भी आधुनिक बनाया जा रहा है।

5.3 आधुनिकीकरण का कार्य शुरू करने से उक्त योजना के निम्नलिखित लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं-

- कार्यालय परिसरों की कार्यात्मक रूपरेखा तैयार की गई है।
- खुले कार्यालयों के सृजन से बेहतर पर्यवेक्षण और जनता को अच्छी सेवाएं देने में सुविधा हुई है।
- कुशल मिसिल प्रबंधन।
- लागत प्रभावी और स्थान के उपयुक्त अभिलेख प्रबंधन।
- अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्थान का प्रभावी उपयोग।
- तीन प्रभागों के सभी अनुभागों को अलग-अलग स्वतंत्र हॉल में स्थान दिया गया है।
- कार्यों के निपटान में तेजी हो गई है और विभिन्न मामलों पर शीघ्रता से निर्णय हुआ है।

6.0 रिकार्ड प्रबंधन

6.1 केन्द्र सरकार, संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक निकायों तथा कार्पोरेशन इत्यादि ने सरकारी रिकार्डों के प्रबंधन, प्रशासन तथा संरक्षण करने के लिए संसद ने "सरकारी रिकार्ड अधिनियम, 1993" नामक अधिनियम बनाया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन के लिए केन्द्र सरकार ने नियम भी बनाए हैं। अधिनियम की धारा 5(1) में शामिल प्रावधानों के अनुसार, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सामान्य प्रशासन के अवर सचिव को विभाग में रिकार्ड अधिकारी नामित किया गया है।

7.0 सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

7.1 विभाग में तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्राण में संबद्ध और नियंत्र णाधीन कार्यालयों में सरकार के राजभाषा अधिनियम पर राष्ट्रपति के आदेश तथा सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने लिए प्रशासन प्रभाग के अंतर्गत एक हिन्दी अनुभाग है।

7.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत सभी कागजात जैसे वार्षिक रिपोर्ट, कार्य निष्पादन बजट, अनुदान मांगे, संसद प्रश्न, आश्वासनों, स्थायी समिति से संबंधित कागजात तथा नियंत्राक तथा महालेखापरीक्षक रिपोर्ट, मंत्रिमंडल नोट, विभागीय वेबसाइट अद्यतन करना इत्यादि अंग्रेजी तथा हिन्दी में जारी किए गए तथा राजभाषा अधिनियम, 1976 की नियम 5 के आधार पर हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गए। राजभाषा विभाग द्वारा तैयार वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार रोजमर्रा के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग में वृद्धि करने के प्रयास किए गए हैं।

7.3 15 से 28 सितम्बर, 2003 तक विभाग में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान, हिन्दी निबंध, नोटिंग-ड्राफ्टिंग, अनुवाद, आशुलिपि तथा टंकण में पांच प्रतियोगिता आयोजित की गई थीं तथा इन प्रतियोगिताओं में भारी संख्या में विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया था। इन प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रत्येक श्रेणी में पाँच पुरस्कार दिए गए। हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय उप प्रधानमंत्र ी जी का संदेश विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच परिचालित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

7.4 इस विभाग में संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जिसकी समीक्षाधीन वर्ष की हर तिमाही में नियमित बैठकें होती हैं। इसमें विभाग में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की जाती है तथा अनुपालन के लिए उपायों के सुझाव दिए जाते हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति

7.5 मंत्र ालय की पुनर्गठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक माननीय मंत्र ी, रसायन और उर्वरक की अध्यक्षता में 6 नवम्बर 2003 को आयोजित की गई। बैठक में मंत्र ालय तथा मंत्र ालय के नियंत्र णाधीन कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्र ालय के दैनिक कार्यो में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सुझाव दिए गए हैं।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट/वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

7.6 वर्ष के दौरान विभिन्न अनुभागों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट को एकत्रा कर विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट डाटाबेस में शामिल कराने के लिए राजभाषा विभाग को भेजा गया। विभाग के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों से हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा इसमें पाई गई कमियों का सुधारने के लिए उपायों के सुझाव दिए गए।

हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण

7.7 राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत तैयार कार्यक्रम के आधार पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों जिन्हें हिन्दी का ज्ञान नहीं है या कार्यसाधक ज्ञान है, उन्हें कार्यकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सरकार की इसी योजना के तहत कर्मचारियों को हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए भी भेजा

गया। प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि तथा उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर नकद पुरस्कार दिया गया।

नकद पुरस्कार योजना

7.8 एक वार्षिक नकद पुरस्कार योजना है जिसके अंतर्गत (कम से कम 20,000 शब्दों में) अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को संपूर्ण वर्ष के लिए अपना दैनिक वर्कशीट तैयार कर स्क्रीनिंग समिति को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करना है। मूल्यांकन के आधार पर, इस योजना के अंतर्गत दो कर्मचारियों को पुरस्कार दिया गया था।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

7.9 संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने सरकारी कामकाज में हिन्दी का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाइपर), सिपेट सेन्टर, चैन्नई और बीपीसीएल कोलकाता का क्रमश: 21 जून, 2003, 10 जनवरी, 2004 और 13 जनवरी, 2004 को दौरा किया। रिपोर्ट की अवधि के वर्ष के दौरान विभिन्न निरीक्षित कार्यालयों द्वारा गत वर्ष और चालू वर्ष में उपसमिति को दिए गए आश्वासनों को समीक्षोपरांत उनकी पूर्ति मानते हुए समिति कार्यालय भेज दिया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के मुल्यांकन के लिए सचिव, रसायन और पेट्रोरसायन तथा विभाग के नियंत्र णाधीन सभी कार्यालय प्रमुखों को 21 मई, 2003 को संसद भवन में आमंत्रि त किया। इसके अतिरिक्त संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति ने विभाग में हिन्दी के प्रयोग का मुल्याकंन करने के लिए 10 सितम्बर 2003 को विभाग का निरीक्षण किया।

विभागीय निरीक्षण दल द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण

7.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 20 प्रतिशत कार्यालयों का निरीक्षण करने का प्रयास किया जाता है, इसके साथ-साथ जब संसदीय समिति द्वारा किसी कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है, विभागीय निरीक्षण दल द्वारा भी उस कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है जिससे पाई गई कमी यदि कोई हो, को सुधारा जा सके। 23 जून, 2003, 12 जुलाई, 2003, और 14 जुलाई, 2003 को स्वतंत्र रूप से क्रमश: सिपेट विस्तार केन्द्र: अमृतसर, गुवाहाटी और हाजीपुर का निरीक्षण किया गया।

8.0 सूचना तकनीक प्रयास

8.1 रसायन और पेट्रोरसायन विभाग का इन्ट्रावेब पोर्टल जावा सर्वर पृष्ठों(जे०एस०पी०) का प्रयोग कर तैयार किया गया है जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल हैं :-

- हेल्प डेस्क खंड में दूरभाष निर्देशिका, ई.मेल निर्देशिका, प्रशासन/स्थापना से संबंधित फार्म, एल ए एन से संबंधित फार्म, एन एन एन से संबंधित और सामान्य शिकायतों का डाटाबेस।

- नोटिस बोर्ड खंड ऐसा तैयार किया गया है जिसमें ऑन लाइन सूचना वेबपोर्टल पर रखा जा सके। नोटिस की विषय-वस्तु डक्क्यूमेंट सर्वर में रखे गए संलग्न वर्ड फाइल से पढ़ा जा सके।

- इसी स्वरूप में **फैशन, घटनाएं और बैठक** संबंधी सूचना इस साइट पर घटनाएं/बैठकें खंड के अंतर्गत रखा जा सके।

- **रोकड़ और प्रशासन** खंड प्रत्येक कर्मचारियों की मासिक वेतन पर्ची की सुविधा शामिल है।

- प्रमुख बेवसाइट से लिंक खंड में प्रमुख वेबसाइटों जैसे शहरी विकास, संसद, एच०ओ०सी०एल०, नाइपर आदि से लिंक शामिल है।

- **ई–गर्वनेंस** खंड में आफिस साफ्ट पैकेज और पे-रोल पैकेज से लिंक शामिल है।

- **एम०आई०एस०** सेवाएं के तहत इन हाउस विकसित सॉफ्टवेयर जैसे उत्पादन मानीटरिंग पद्धति को लिंक किया गया है।

- **स्वास्थ्य केंद्र** खंड में स्वास्थ्य से संबंधित लेखों को शामिल किया गया है।

- डाटाबेस आधारित अधिकारियों/कार्मिकों के दूरभाष सनं०, फैक्स, इन्टरकॉम आदि को खोजने की सुविधा इस वेब पोर्टल पर उपलब्ध करा ली गई है।
- **एक्रोबेट रीडर** और **एंटिवायरस** उपाय इस वेबपोर्टल के प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध करायी गई है।

8.2 रसायनिक हथियार समझौता :

रासायनिक विनिर्माताओं के पंजीकरण के लिए एक प्रोटोकोल टाइप का मॉडल तैयार किया गया है।

8.3 उत्पादन मानीटरिंग

- पेट्रोरसायन के उत्पादन आंकड़ों को 1995-96 से 2001-02 तक इन्ट्रोवेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

- औषधीय उत्पादन डाटाबेस को कस्टॉमाइज किया गया, इसका परीक्षण किया गया और इसे प्रतिष्ठापित किया गया।

- रसायन, पेट्रोरसायन तथा औषध संबंधी उत्पादन मानीटरिंग प्रणाली को एकीकृत किया गया और डाटाबेस से पुन: डिजाइन किया गया।

- फ्लैश, पी एस यू कार्यनिष्पादन आदि जैसी अन्य सामान्य रिपोर्टों को मासिक आधार पर जनरेट किया गया।

8.4 सभी तीन क्षेत्र ों के लिए निम्नलिखित वेब आधारित क्वेरीज को इन्ट्रा वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया :-

- सभी कंपनियों तथा उत्पादों की वर्णमालाएं एवं कोडवार सूची
- कंपनियों के पतों की सूची

- विशिष्टीकृत कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पादों की सूची
- विशिष्टीकृत उत्पाद का उत्पादन करने वाली कंपनियों की सूची
- सभी उत्पादों का कंपनीवार मासिक उत्पादन
- सभी कंपनियों का उत्पादवार मासिक उत्पादन
- सभी उत्पादों और चुनीदा उत्पादों की फ्लैश रिपोर्टें
- सभी उत्पादों तथा चुनीदा उत्पादों का उत्पादन निष्पादन
- पिछले चार वर्ष का वर्षवार उत्पादन

8.5 रसायनों तथा पेट्रोरसायनों के निर्यात/आयात की मानीटरिंग

- अप्रैल, 03 - जून, 03 की तिमाही के संबंध में निर्यात/आयात आंकड़ों को ए एस सी आई आई फार्मेट में अपलोड किया गया और आई टी सी कोडवार सारांश जनरेट किया गया।
- रसायनों तथा पेट्रोरसायनों तथा औषधियों के वार्षिक आई टी सी कोडवार आयात एवं निर्यात को संकलित किया गया और तैयार किया गया।
- आई टी सी कोडवार निर्यात एवं आयात
- खपत रिपोर्ट

8.6 वेबसाइट का उन्नयन

विभागीय वेबसाईट हिन्दी और अंग्रेजी में प्रचालन में है। इसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

8.7 प्रबंधन सूचना प्रणाली

- मंत्रि मंडल सचिव के 24 मार्च, 2003 के पत्र सं० सी एस-8638/2003/सीए-वी के अनुसरण में "प्रबंधन सूचना प्रणाली पैकेज" नामक एक रिपोर्ट तैयार की गई।

- आवर्तिता एवं समीक्षा के स्तर सहित लगभग 32 रिपोर्ट फार्मेटों का पता लगाया गया।

8.8 पे रोल

- फॉक्सबेस आधारित पे-रोल डाटा-मासिक आधार पर एस.क्यू.एल. सर्वर में परिवर्तित किया जा रहा है।

8.9 कार्यालय प्रक्रिया का स्वचालन:

- ओ०पी०ए० पैकेज के प्रयोग में विभाग के सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- विभाग के कुछ अनुभाग इस पैकेज का पूरा प्रयोग कर रहे हैं जबकि कुछ अन्यों ने अभी आरंभ किया है।

8.10 आई.टी. प्लान का कार्यान्वयन

- वित्तीय वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए आई०टी० प्लान लागू किया जा रहा है।

- आई०टी० प्लान में 77,99,000 रूपए का प्रावधान किया गया है जिसे दो वर्षो में खर्च किया जाना है। पहले वर्ष में 42,95,000 रूपए खर्च किए जाने हैं और 34,96,000 रूपए 2004-05 में खर्च किया जाना है।

अनुबंध- I

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग को आवंटित विषयों की सूची

औषधियां तथा फार्मास्युटिकल्स, उनके सिवाय, जो अन्य विभागों को विनिर्दिष्टतया आबंटित की गई है।

कीटनाशी (कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का 46) प्रशासन के सिवाय)।

शीरा।

अल्कोहल औद्योगिक और पेय, जिनका आधार शीरे पर हो।

रंजक द्रव्य और रंजक मध्यक।

सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, जो किसी अन्य मंत्रालय या विभाग को विनिर्दिष्टतया आबंटित नहीं किए गए है।

विभाग द्वारा व्यवहृत सभी उद्योगों की योजना, विकास तथा नियंत्र ण, और सहायता।

भोपाल गैस रिसाव विभीषिका - तत्संबंधी विशेष कानून।

पेट्रो रसायन।

सैलुलाजि रहित संश्लिष्ट फाइबर (नायलोन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग।

संश्लिष्ट रबड़।

प्लास्टिक जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की ढली हुई वस्तुएं शामिल हैं।

अनुबंध- II

वर्ष 2000-01 से 2002-03 के दौरान चयनित कंपनियों द्वारा प्रपुंज औषधों का उत्पादन

क्रम सं०	प्रपुंज औषध का नाम	इकाई	वास्तविक उत्पादन 2000-01	वास्तविक उत्पादन 2001-02	वास्तविक उत्पादन 2002-03*
1	2	3	4	5	6
I	**संवेदनाहारक**				
1	लिगनोकेन/जाइलोकेन	मी. टन	51.63	56.00	49.58
2	प्रोकेन	मी. टन	0.00	0.00	0.00
II	**दर्द निवारक एवं एंटीपायरेटिक**				
3	एनालजीन/मेटामिजोल (एस)	मी. टन	151.27	217.96	236.91
4	एस्प्रिन (एस)	मी. टन	1339.60	916.48	1045.56
5	इबुप्रोफन (एस)	मी. टन	2295.13	2074.39	2604.27
6	आक्सीफेनाइलबूटाजोन	मी. टन	0.77	0.21	0.00
7	पैरासीटामोल	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
8	पेथीडीन	कि. ग्रा.	154.00	338.00	93.00
9	फिनाइल बूटाजोन	मी. टन	3.08	7.21	0.00
10	पिरोक्सीकैम	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
III	**दमा रोधी**				
11	एमीनोफिलिन (एस)	मी. टन	3.58	5.57	8.15
12	इफीड्रिन (एस)	मी. टन	345.45	247.77	160.42
13	सालबुटामोल	कि. ग्रा.	21054.00	18220.00	15004.00
14	टरबुटालीन	कि. ग्रा.	2386.00	2473.00	2279.00
15	थियोफिलिन (एस)	मी. टन	192.72	193.50	130.49
IV	**एंटीबायोटिक्स**				
16	एमोक्सीसिलिन	मी. टन	962.91	882.70	1167.19

17	एम्पीसिलिन	मी. टन	149.22	166.86	151.29
18	सीफालेक्सिन	मी. टन	831.89	769.91	825.51
19	क्लोरमफेनिकाल पामीटेट	मी. टन	0.00	25.85	27.88
20	क्लोरमफेनिकल पाउडर	मी. टन	8.74	24.91	32.65
21	क्लोक्सासिलिन (एस)	मी. टन	134.89	79.23	65.74
22	डाक्सीसाइक्लिन (एस)	मी. टन	8.27	6.00	3.92
23	इरिथ्रोमाइसिन (एस)	मी. टन	116.09	173.41	173.27
24	फ्रेमाइसिटिन (एस)	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
25	जेन्टामाइसिन (एस)	कि. ग्रा.	0.00	0.00	0.00
26	ग्रीसोफुल्विन (एस)	मी. टन	13.31	9.41	7.87
27	आक्सीटेट्रासाइक्लिन (एस)	मी. टन	126.50	84.46	71.74
28	**पेनिसिलिन(एस)**				
	क. पेनिसिलिन जी प्रथम क्रिस्टल	एमएमयू	7056.94	7695.57	8699.62
	ख. पेनिसिलिन जी प्रोकेन	एमएमयू	119.91	139.16	227.81
	ग. पेनिसिलिन जी सोडियम	एमएमयू	65.62	89.46	195.54
	घ. पेनिसिलिन जी बेंजाथीन	एमएमयू	24.05	27.95	34.20
29	रिफाम्पिसिन(एस)	मी. टन	279.00	282.62	482.64
30	स्ट्रेप्टोमाइसिन(एस)	मी. टन	0.01	0.12	0.12
31	टेट्रोसाइक्लिन(एस)	मी. टन	37.90	8.08	0.00
V	**मधुमेह-रोधी**				
32	क्लोरप्रोपामाइड (एस)	मी. टन	84.53	67.69	68.34
33	ग्लिबेनक्लेमाइड	मी. टन	6.22	12.46	18.59
34	इंसुलिन(एस)	एमएमयू	0.00	0.00	उ.न.
35	टालबुटामाइड	मी. टन	33.29	48.07	36.18
VI	**पेचिशरोधी औषधें**				
36	डिलोक्सामाइड फ्यूरोएट	मी. टन	9.80	7.48	5.02
37	आइडोक्लोरोहाइड्रिक्सीक्वोलिन(एस)	मी. टन	129.59	219.75	153.24
38	मेट्रानिडाजोल(एस)	मी. टन	910.52	957.06	907.20
39	टिनिडाजोल	मी. टन	385.97	572.35	764.70

VII	**फाइलेरिया-रोधी**				
40	डीइथाइल कारबामाजिन (डी ई सी साइट्रेट)	मी. टन	0.00	0.00	0.00
VIII	**एंटीहेलमेंटिक्स**				
41	मेबेन्डाजोल	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
42	पाइपराजिन एंड साल्ट	मी. टन	0.00	63.11	45.13
43	पायरेन्टल पामोएट (एस)	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
44	टेट्रामिसोल/लीवामीसोल	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
IX	**ऐंठी हिस्टेमिन**				
45	डीफिनाइल हाड्रामिन	मी. टन	0.00	0.00	0.00
46	फेनेरामाइन मेलिएट (एस)	मी. टन	45.30	43.55	52.99
X	**एंटी लेपराटिक्स**				
47	क्लोफ्यूजमाइन	मी. टन	0.00	0.00	0.00
48	डैप्सोन	मी. टन	0.00	0.00	0.00
XI	**मलेरिया-रोधी**				
49	एमाडियाक्विन (एस)	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
50	क्लोरोक्विन (एस)	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
XII	**क्षयरोग-रोधी औषधें**				
51	इथाम्बुटोल	मी. टन	837.02	782.73	892.25
52	आई एन एच	मी. टन	25.93	36.27	33.43
53	पी ए एस और साल्ट	मी. टन	0.00	0.00	0.00
54	पायराजिनामाइड	मी. टन	0.00	0.00	0.00
55	थियासीटाजोन	मी. टन	21.91	8.36	0.00
XIII	**कार्डिओवस्कुलर औषधें**				
56	डाईक्सिन	कि. ग्रा.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

57	मिथाइल डोपा (एस)	मी. टन	0.00	0.00	0.00
58	प्रोपानोलोल	मी. टन	7.74	10.08	3.56
59	जन्थीनोल निकोटीनेट	मी. टन	11.99	4.70	9.56
XIV	**सी एन एस स्टीमूलेन्टस**				
60	कैफीन	मी. टन	81.42	30.87	75.34
61	निकैथामाइड	मी. टन	0.00	0.00	0.00
XV	**कार्टीकासटेरायड्स**				
62	बीटामेथासोन (एस)	कि. ग्रा.	3771.00	3088.00	3285.00
63	डेक्सामीथासोन (एस)	कि. ग्रा.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
64	हाइड्रोकोर्टीसोन	कि. ग्रा.	722.00	707.00	730.00
65	प्रेडनीसोलोन (एस)	कि. ग्रा.	2836.00	3147.00	2707.00
XVI	**डीयूरेटिक्स**				
66	एसीटाजोलामइड	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
67	फ्रूसेमाइड (एस)	मी. टन	56.13	41.60	46.95
68	हाइड्रोक्लोरोथाजिड	मी. टन	13.72	18.33	22.24
69	स्पीरोनेलैक्टोन	मी. टन	0.00	0.03	0.003
XVII	**गैस्ट्रो इन्टेसटीनल**				
70	रेनीटिडिन (एस)	मी. टन	739.50	797.79	713.98
XVIII	**अन्य वैक्टीरिया रोधी**				
71	नालिडिक्सिक एसिड (एस)	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
72	ट्रीमेथोप्रिम (एस)	मी. टन	374.65	512.54	449.17
XIX	**सल्फा ड्रग्स**				
73	सल्फासीटामाइड	मी. टन	5.87	6.44	4.79
74	सल्फाडाइजिन (एस)	मी. टन	0.00	0.00	0.00
75	सल्फाडिमेडाइन (एस)	मी. टन	0.00	0.00	0.00

76	सल्फागुआनुडिन (एस)	मी. टन	0.00	0.00	0.00
77	सल्फामेथोक्साजोल (एस)	मी. टन	232.96	उ.न.	उ.न.
78	सल्फामोक्सोल (एस)	मी. टन	8.41	11.23	13.55
79	सल्फाफेनोजोल	मी. टन	0.00	0.00	0.00
80	सल्फासोमिडाइन	मी. टन	0.00	0.00	0.00
XX	**ट्रंक्विलाइजर्स एंड सेडटिव्स**				
81	डायजेपाम	मी. टन	उ.न.	उ.न.	उ.न.
82	एमीप्रामाइन	मी. टन	0.06	0.00	उ.न.
83	नाइट्राजेपाम	कि. ग्रा.	940.00	843.00	396.00
84	फैनोबार्बिटोन	मी. टन	34.19	15.10	11.79
85	ट्रीफ्लूपैराजिन	मी. टन	0.00	0.00	0.00
XXI	**विटामिन**				
86	फोलिक एसिड	मी. टन	0.00	0.00	0.00
87	निकोटीनामाइड	मी. टन	310.55	322.91	407.57
88	निकोटीनिक एसिड	मी. टन	313.05	329.06	390.73
89	विटामिन ए (एस)	एमएमयू	59.77	27.83	74.05
90	विटामिन बी 1/थियामिन (एस)	मी. टन	4.51	4.89	4.16
91	विटामिन बी 12	कि. ग्रा.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
92	विटामिन बी 2 (एस)	मी. टन	35.23	29.19	7.34
93	विटामिन बी 6	मी. टन	0.00	0.00	0.00
94	विटामिन सी/एस्कारबिक एसिड (एस)	मी. टन	546.22	439.43	265.46
95	विटामिन डी 3	कि. ग्रा.	632.00	461.00	1640.00
96	विटामिन ई (एस)	मी. टन	220.71	227.30	184.71

स्त्रोत: चयनित कंपनियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिमाह उत्पादन विवरण

*   अस्थाई

उ.न.   उपलब्ध नहीं

(एस) डी पी सी ओ के अंतर्गत **74** औषधियों में **44** को शामिल करते हुए डी पी सी ओ, **1995** के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषध।

अनुबंध- **III**

2002-2003, 2003-2004 के दौरान रसायनों की क्षमता और उत्पादन तथा 2004-2005 के दौरान प्रत्याशित उत्पादन

क्रम सं०	उत्पाद	अधिष्ठापित क्षमता 31-3-2003	उत्पादन 2001-02 वास्तविक	2002-03 अनुमानित	2003-04 प्रत्याशित
	अल्कली रसायन				
1.	सोडा ऐश	2042	1632	1673	1840.3
2.	कास्टिक सोडा	1953	1520	1552	1707.2
3.	लिक्विड क्लोरीन	1448	970	1012	1113.2
	कुल	**5443**	**4122**	**4237**	**4660.7**
	अकार्बनिक रसायन				
1.	एल्यूमिनियम फ्लोराइड	17.6	14.8	12.7	14.0
2.	कैल्शियम कार्बाइड	86.5	49	45.2	49.7
3.	कार्बन ब्लैक	342	205	206	226.6
4.	पोटैशियम क्लोरेट	11.6	2.2	1.5	1.7
5.	टिटेनियम डाइआक्साइड	1.7	0.6	0.6	0.7
6.	रेड फास्फोरस	1.7	0.6	0.6	0.7
	कुल	**509.9**	**317.1**	**311.6**	**342.8**
	आर्गेनिक रसायन				
1.	एसीटिक एसिड	326.3	251.7	311.3	342.4
2.	एसीटिक एनहाइड्राइड	51.5	23.1	28.2	31.0
3.	एसीटोन	64	44.1	40.1	44.1
4.	फेनोल	66.5	76.2	71.7	78.9

5.	मेथानाल	385	362.1	366.5	403.2
6.	फारमेलडिहाइड	272.2	182	189.0	207.9
7.	नाइट्रोबेन्जीन	54	25.3	23.1	25.4
8.	सीट्रिक एसिड	6.3	3.3	0.0	0.0
9.	मेलिक एनहाइड्राइड	27.3	11.9	15.0	16.5
10.	पेन्टारिविटाल	17.0	14	10.5	11.6
11.	क्लोरोमेथन्स	83.7	79.1	39.7	43.7
12.	ओ० एन० सी० बी०	30.8	24.6	25.2	27.7
13.	पी० एन० सी० बी०	34.5	24.6	25.2	27.7
14.	मेक	9.0	8.3	7.7	8.5
15.	एनीलिन	28.7	14.6	15.1	16.6
16.	एसीटेनडीहाईड	125	126.2	111.3	122.4
17.	इथाइल एसीटेट	55.1	40.1	35.0	38.5
18.	ओथोनाइट्रो टोल्यूडीन	6.1	4.4	6.7	7.4
	कुल	**1643**	**1315.6**	**1321.3**	**1453.4**
	पेस्टिसाइड्स				
1.	डी०डी०टी०	6.3	2.9	3.9	4.3
2.	मैलाथियान	13.1	4.2	4.0	4.4
3.	पाराथियोन (मिथाइल)	4.0	1.9	1.6	1.8
4.	डिमिथोएट	3.2	0.8	1.1	1.2
5.	डी०डी०वी०पी०	4.3	2.5	2.9	3.2
6.	क्विनालफोस	5.3	1.8	2.4	2.6
7.	मोनाक्रोटोफोस	16.7	6.5	7.4	8.1
8.	फासफामिडान	6.5	0.8	0.5	0.6
9.	फोरेट	10.9	3.2	3.4	3.7
10.	एथियोन	2.2	1.7	2.2	2.4
11.	एन्डासूल्फान	10.1	3.7	3.1	3.4
12.	फेनवेलरेट	1.9	0.5	0.8	0.9
13.	साइपरमेथ्रीन	5.3	5.1	5.4	5.9
14.	एनिलोफास	1.2	0.4	0.3	0.3
15.	एसिफेट	7.5	4.8	3.9	4.3
16.	क्लोरपाइरिफोस	10.5	6.4	4.5	5.0
17.	फोसालोन	1.0	0.4	0.1	0.1
18.	मेटासिटाक्स	*	0.5	0.6	0.7
19.	एबट	*	0.04	0.0	0.0
20.	फेनथियोन	*	0.4	0.2	0.2

21.	ट्रिआजोफास	*	1.2	0.3	0.3
22.	लिन्डेन	1.2	0.3	0.2	0.2
23.	टेमेफोस	0.2	0.1	0.1	0.1
24.	डेल्टामेथ्रीन	0.3	0.2	0.2	0.2
25.	अल्फामेथरीन	0.4	0.2	0.2	0.2
कुल	**112.1** **50.54**	**49.3**	**54.2**		
	फफूंदनाशी				
26.	कैप्टान और कैप्टाफोल	1.8	0.1	0.6	0.7
27	कार्बनडेजिन (बाविस्टिन)	1.5	1.3	1	1.1
28.	कॉलिक्सन	0.2	0.03	0.01	0.0
29.	मैन्काजेब	11	10.2	10.2	11.2
30.	कोपेरोक्सीलराइड	1.5	0.2	0.2	0.2
	कुल	**16**	**11.83**	**12.0**	**13.2**
	खरपतवारनाशी				
31.	2,4- डी	2.3	0	0.2	0.2
32.	बूटाक्लोर	0.9	0.2	0.3	0.3
	कुल	**3.2**	**0.2**	**0.5**	**0.6**
	अपतृणनाशी				
33.	आईसोप्रोटूरोन	6.4	2.7	4.1	4.5
34.	ग्लाइफोसेट	3.2	0.1	0.2	0.2
35.	डियूरान	0.1	0.04	0.05	0.1
36.	एटरेजाईन	उ.न.	0.2	0.03	0.0
37.	फ्लूक्लोरोलीन	0.3	0.2	0.02	0.0
	कुल	**10**	**3.24**	**4.4**	**4.8**
	कृन्तकनाशी				
38.	जिंक फासफाइड	0.9	0.2	0.2	0.2
39.	एल्युमिनियम फासफाइड	2.3	2.0	1.3	1.4
	कुल	**3.2**	**2.2**	**1.5**	**1.7**
VI.	**फ्युमिगैट्स**				

40.	मिथाइल ब्रोमाइड	0.3	0.06	0	0.0
41.	डाइकोफाल	0.15	0.1	0.08	0.1
	कुल	**0.45**	**0.16**	**0.08**	**0.1**
पेस्टिसाइड्स कुल योग	**144.95**	**68.17**	**67.79**	**74.569**	
	रंजक और रंजक पदार्थ				
1.	एजो डाईज	8.7	4.1	4.5	5.0
2.	एसिड डायरेक्ट डाईज	0.4	0.01	0	0.0
3.	बेसिक डाईज	0.5	0.002	0	0.0
4.	डिस्पर्स डाईज	5.2	1.3		0.0
5.	फास्ट कलर बेसेज	0.6	0	0	0.0
6.	इंग्रेन डाईज	0.3	0.03	0.1	0.1
7.	आयल साल्युबल डाईज	1.6	0.3	0.0	0.0
8.	आप्टिकल व्हाइटनर	1.1	0.4	0.3	0.3
9.	आर्गेनिक पिगबमेंट्स	12.3	10.9	11.8	13.0
10.	पिगमेंट इमल्शन	7.6	2.0	2.5	2.8
11.	रिएक्टिव डाईज	7.4	3.0	2.6	2.9
12.	सल्फर डाईज	3.3	2.2	3.6	4.0
13.	वैट डाईज	2.3	1.4	0.6	0.7
14.	साल्युबिलाईज्ड वैट डाईज	0.1	0.03	0.004	0.0
15.	फूड कलर्स	0.1	0	0	0.0
16.	नेपथोल्स	1.2	0.3	0.5	0.6
	कुल	**52.7**	**25.972**	**26.51**	**29.2**

* संयुक्त क्षमता, संयंम बहुद्देश्यीय

उ.न. उपलब्ध नहीं

अनुबंध- IV

प्रमुख पेट्रोरसायन

(वास्तविक, अनुमानित तथा प्रत्याशित)

000 मी. टन

उत्पाद	2002-03 वास्तविक		2003-04 अनुमानित *		2004-05 प्रत्याशित	
	स्थापित क्षमता	उत्पादन	स्थापित क्षमता	उत्पादन	स्थापित क्षमता	उत्पादन
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)
सिंथेटिक फाइबर्स						
1. ए० एफ	138.00	105.00	138.00	113.00	138.00	117.00
2. एन एफ वाई @	28.00	30.00	28.00	30.00	28.00	33.00
3. एन आई वाई/टी सी @	50.00	51.00	50.00	55.00	50.00	60.00
4. पी एफ वाई @	1264.00	946.00	1271.00	950.00	1275.00	1000.00
5. पी एस एफ	610.00	575.00	614.00	580.00	614.00	600.00
6. पी पी एफ वाई	22.00	15.00	18.00	17.00	18.00	20.00
7. पी पी एस एफ	7.00	3.00	7.00	4.00	7.00	5.00
8. पी एस एफ एफ	46.00	30.00	46.00	36.00	46.00	40.00
कुल	**2165.00**	**1755.00**	**2172.00**	**1785.00**	**2176.00**	**1875.00**
फाइबर मध्यावर्तियां						
1. ए सी एन	30.00	33.00	30.00	35.00	30.00	40.00
2. कैप्रोलेक्टम	120.00	100.00	120.00	100.00	120.00	105.00
3. डी एम टी	300.00	199.00	300.00	200.00	300.00	200.00
4. पी टी ए	1325.00	1705.00	1325.00	1720.00	1325.00	1750.00
5. एम ई जी	590.00	611.00	615.00	650.00	615.00	670.00
कुल	**2365.00**	**2648.00**	**2390.00**	**2705.00**	**2390.00**	**2765.00**
पालिमर्स						
1. एल डी पी ई	200.00	192.00	200.00	195.00	200.00	200.00
2. एलएलडीपीई/एचडीपीई	1520.00	1478.00	1520.00	1500.00	1520.00	1600.00
3. पी पी	1365.00	1430.00	1365.00	1600.00	1365.00	1750.00
4. पी एस	414.00	224.00	414.00	270.00	414.00	300.00
5. पी वी सी	780.00	822.00	798.00	850.00	798.00	880.00
6. एक्स पी एस	37.00	29.00	37.00	30.00	37.00	30.00

कुल	**4316.00**	**4175.00**	**4334.00**	**4445.00**	**4334.00**	**4760.00**
इलास्टोमरस						
1. एस बी आर	62.00	16.00	62.00	20.00	62.00	22.00
2. पी वी आर	50.00	54.00	50.00	55.00	50.00	60.00
3. एन बी आर	9.00	6.00	13.00	7.00	13.00	7.00
4. ई पी डी एम	10.00	5.00	10.00	6.00	10.00	6.00
5. ई वी ए	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00
कुल	**145.00**	**81.00**	**149.00**	**88.00**	**149.00**	**95.00**
सरफेक्टेट्स						
1. एल बी ए	314.00	375.00	314.00	400.00	314.00	420.00
2. ई ओ	107.00	72.00	107.00	75.00	107.00	80.00
कुल	**421.00**	**447.00**	**421.00**	**475.00**	**421.00**	**500.00**
परफारमेंस प्लास्टिक्स						
1. एस बी एस रेजिन	60.00	49.00	60.00	50.00	60.00	60.00
2. नाइलोन-6/नाइलोन-6,6	11.00	9.00	11.00	10.00	11.00	11.00
3. पी एम एम ए	4.00	3.00	4.00	3.00	4.00	4.00
4. एस ए एन	40.00	34.00	40.00	35.00	40.00	40.00
कुल	**115.00**	**95.00**	**115.00**	**98.00**	**115.00**	**115.00**
बिल्डिंग ब्लॉक्स						
ओलेफिन्स						
1. एथिलीन	2447.00	2305.00	2447.00	2350.00	2447.00	2400.00
2. प्रोफिलीन	1541.00	1589.00	1541.00	1750.00	1541.00	1800.00
3. बुटाडीन	139.00	68.00	139.00	105.00	139.00	110.00
कुल	**4127.00**	**3962.00**	**4127.00**	**4205.00**	**4127.00**	**4310.00**
एरोमेटिक्स						
1. बेंजीन	686.00	595.00	686.00	600.00	686.00	625.00
2. टूलीन	280.00	163.00	280.00	165.00	280.00	170.00
3. ऑरथोजाइलीन	204.00	192.00	204.00	195.00	204.00	200.00
4. पैरेक्सीलीन	1724.00	1424.00	1724.00	1450.00	1724.00	1500.00
5. मिक्सड जाइलीन	165.00	52.00	165.00	60.00	165.00	65.00
कुल	**3059.00**	**2426.00**	**3059.00**	**2470.00**	**3059.00**	**2560.00**

औद्योगिक यूनिटों द्वारा सितम्बर, 2003 तक सूचित किए अनुसार वास्तविक मासिक उत्पादन विवरणियों पर आधारित

@ : स्वतंत्रा क्षमता

@@ :इसमें एन एफ वाई, एन आई वाई/टी सी तथा पी पी एफ वाई और ब्राडबैडिंग के अन्तर्गत कुछ कम्पनियों की क्षमताएं भी शामिल हैं।

अनुबंध- V

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्राणाधीन संबंद्ध कार्यालयों और सरकारी क्षेत्रा के उपक्रमों एवं अन्य संगठनों की सूची

संबद्ध कार्यालय

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण

सरकारी क्षेत्रा के उपक्रम :

1. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी, महाराष्ट्र
2. हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली
3. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, डुंडाहेड़ा, गुडगांव, हरियाणा
4. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे महाराष्ट्र
5. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकलस लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
6. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकलस लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
7. बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

अन्य संगठन

1. पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, पो०ओ० पेट्रोफिल्स, जिला बड़ोदरा, गुजरात
2. सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, गिन्डी, चेन्नई
3. इंस्टीट्यूट आफ पेस्टिसाइड्स फार्मूलेशन टेक्नोलॉजी, गुडगांव, हरियाणा
4. नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्युटिकलस एजूकेशन एंड रिसर्च, मोहाली, पंजाब

अनुबंध- VI

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित लेखा - परीक्षा टिप्पणियों का सारांश

भारत के नियंत्र क और महालेखा-परीक्षक के कार्यालय ने नियंत्र क और महा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के संबंध में निम्नलिखित लेखा-परीक्षा टिप्पणी शामिल की है :-

"प्रीमियम की अदायगी न किए जाने के परिणामस्वरूप समूह बचत सम्बद्ध बीमा योजना को समाप्त किए जाने के कारण इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्यूटीकल्स लि० द्वारा 72.51 लाख रू० का परिहार्य व्यय किया गया।"

(रिपोर्ट नं० 3, 2003 का पैरा 3.1.1)